सत्यमेव जयते

पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 के लिए

हरियाणा सरकार

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा

पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2011–12 तथा 2012–13 के लिए

हरियाणा सरकार

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा

www.cag.gov.in

विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
प्राक्कथन		v
ओवरव्यू		vii
भाग क: पंचायती राज संस्थाएं		
अध्याय – 1		
पंचायती राज संस्थाओं का प्रोफाइल		
प्रस्तावना	**1.1**	**1**
लेखापरीक्षा व्यवस्था	**1.2**	**1**
पंचायती राज संस्थाओं का संगठनात्मक ढांचा	**1.3**	**2**
वित्तीय प्रोफाइल	**1.4**	**4**
लेखांकन व्यवस्था	**1.5**	**7**
लेखापरीक्षा विस्तार	**1.6**	**7**
बकाया निरीक्षण रिपोर्टें	**1.7**	**7**
अध्याय – 2		
पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा के परिणाम		
मनरेगा के अंतर्गत भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र के निर्माण पर अस्वीकार्य व्यय	**2.1**	**9**
अटेली में तहसील कार्यालय भवन के निर्माण पर अस्वीकार्य व्यय	**2.2**	**10**
मजदूरी के भुगतान में विलंब	**2.3**	**10**
स्वर्णज्यंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत निष्फल व्यय	**2.4**	**11**
इंदिरा आवास योजना का कार्यान्वयन	**2.5**	**11**
जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के भवनों का आठ वर्ष तक निर्माण न करना	**2.6**	**13**
भूतपूर्व सरपंचों से बकायों की वसूली न करना	**2.7**	**13**
जाली मस्टर रोलों पर अतिरिक्त भुगतान	**2.8**	**14**
मस्टर रोलों का अनुपयुक्त रख–रखाव	**2.9**	**15**
उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की अप्राप्ति	**2.10**	**15**
निधियों का विपथन	**2.11**	**15**
व्यक्तिगत बही खाते में पड़ी निधियां	**2.12**	**16**
निधियों का अवरोधन	**2.13**	**17**

विवरण	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड से पट्टा धन की अप्राप्ति/देरी से प्राप्ति के कारण ब्याज की हानि	**2.14**	**18**
ग्रामीण हाटों का निष्फल निर्माण	**2.15**	**19**
पंचायत भूमि पर तालाबों के पट्टे में अनियमितताएं	**2.16**	**20**
ग्राम पंचायतों द्वारा रिकार्ड न रखना	**2.17**	**21**
भाग ख: शहरी स्थानीय निकाय		
अध्याय – 3		
शहरी स्थानीय निकायों का प्रोफाइल		
शहरी स्थानीय निकायों की पृष्ठभूमि	**3.1**	**23**
ऑडिट मेनडेट	**3.2**	**23**
शहरी स्थानीय निकायों का संगठनात्मक ढांचा	**3.3**	**24**
वित्तीय प्रोफाइल	**3.4**	**26**
लेखांकन व्यवस्था	**3.5**	**27**
शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय रिपोर्टिंग तथा अकाउटिंग फ्रेमवर्क (आंतरिक नियंत्रण प्रणाली)	**3.6**	**28**
अध्याय – 4		
शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के परिणाम		
राजस्व की हानि	**4.1**	**31**
सर्विस टैक्स की अवसूली	**4.2**	**32**
श्रम उपकर की कटौती न होना	**4.3**	**33**
सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत निधियों का उपयोग न होना	**4.4**	**34**
शहरी स्थानीय निकायों के पास पड़े अव्ययित अनुदान	**4.5**	**35**
निधियों का विपथन	**4.6**	**36**
बेकार मशीनरी	**4.7**	**36**
मस्टर रोलों का अनुपयुक्त रख-रखाव	**4.8**	**37**
भूमि का अतिक्रमण	**4.9**	**38**
अस्थायी अग्रिमों का असमायोजन	**4.10**	**38**

परिशिष्ट

परिशिष्ट	विवरण	संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ
1	राज्य में पंचायती राज संस्था में लगाए गए स्टॉफ (तकनीकी एवं गैर-तकनीकी) की स्थिति	**1.3.2**	**41**
2	मनरेगा के अंतर्गत दिहाड़ियों के भुगतान में विलंब दर्शाने वाली विवरणी	**2.3**	**42**
3	अपर उपायुक्त, भिवानी द्वारा स्वर्णज्यंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना स्कीम के अंतर्गत संवितरित ऋणों एवं सब्सिडी के विवरण	**2.4**	**46**
4.	इंदिरा आवास योजना के लाभग्राहियों, जिन्हें दूसरी किस्त जारी नहीं की गई थी, को दर्शाने वाली विवरणी	**2.5.1**	**47**
5.	महिला लाभग्राहियों को आवास इकाइयों का अनाबंटन	**2.5.2**	**48**
6	भूतपूर्व सरपंचों से अवसूली के विवरण	**2.7**	**49**
7	सर्विस टैक्स की कटौती न करना	**4.2.1**	**50**
8	ठेकेदारों से काटे न गए उपकर के विवरण दर्शाने वाली विवरणी	**4.3**	**51**
9	मकानों के निर्माण कार्यों पर उद्गृहीत न किए गए उपकर के विवरण दर्शाने वाली विवरणी	**4.3**	**52**
10	मस्टर रोलों पर संदेहास्पद भुगतान दर्शाने वाली विवरणी	**4.8**	**53**

प्राक्कथन

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कर्त्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा के तकनीकी मार्गदर्शन एवं समर्थन के निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, विकास एवं पंचायत विभाग, ग्रामीण विकास विभाग तथा प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग को प्रस्तुत करने के लिए वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन तैयार किया गया है। हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों पर तैयार की गई यह दूसरी रिपोर्ट है।

यह रिपोर्ट राज्य में पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के कार्यचालन का ओवरव्यू प्रदान करती है तथा 2011-13 के दौरान की गई लेखापरीक्षा के प्रमुख परिणामों पर, जहां कहीं आवश्यक हो, उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए संबंधित कार्यकारी विभागों का ध्यान आकर्षित करती है।

इस रिपोर्ट के चार अध्याय हैं। अध्याय 1 तथा अध्याय 3 में क्रमश: पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों का ओवरव्यू तथा वित्तीय रिपोर्टिंग शामिल है। अध्याय 2 तथा अध्याय 4 में क्रमश: पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों की संपादन लेखापरीक्षा से उत्पन्न परिणाम शामिल हैं।

इस रिपोर्ट में उल्लिखित मामले 2011-13 की अवधि के दौरान संचालित 726 पंचायती राज संस्थाओं {(नौ जिला परिषदों, 54 पंचायत समितियों, 663 ग्राम पंचायतों)} तथा 55 शहरी स्थानीय निकायों {(आठ नगर निगमों, 12 नगर परिषदों तथा 35 नगर पालिकाओं)} के लेखाओं की लेखापरीक्षा से उत्पन्न प्रमुख लेखापरीक्षा परिणामों का समेकन हैं। इसके अतिरिक्त वे मामले भी शामिल हैं जो पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में आए थे किंतु पिछली रिपोर्ट में शामिल नहीं किए जा सके थे।

ओवरव्यू

यह रिपोर्ट दो भागों में है और इसमें चार अध्याय हैं। अध्याय 1 और 2 पंचायती राज संस्थाओं तथा 3 और 4 शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित हैं। लेखापरीक्षा परिणामों का सारांश नीचे प्रस्तुत किया गया है:

पंचायती राज सस्थाओं का प्रोफाइल

राज्य में 21 जिला परिषदें, 124 पंचायत समितियां और 6,083 ग्राम पंचायतें हैं। पंचायती राज सस्थाओं का समग्र नियंत्रण निदेशक, विकास और पंचायत विभाग के माध्यम से प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, विकास और पंचायत विभाग के पास है। 73वें संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज सस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया, राज्य सरकार ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 बनाया तथा इन संस्थाओं को सरकार के तीसरे स्तर के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए हरियाणा पंचायती राज नियम, 1995 तथा हरियाणा पंचायती राज (वित्त बजट लेखा, लेखापरीक्षा, कराधान तथा निर्माण कार्य) नियम 1996 बनाए। 9 जिला परिषदों, 54 पंचायत समितियों और 663 ग्राम पंचायतों के 2008-13 की अवधि के लेखाओं के अभिलेखों की नमूना-जांच वर्ष 2011-13 के दौरान की गई।

(अध्याय-1)

पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा के परिणाम

- महेन्द्रगढ़, कनीना तथा अटेली खंडों में मनरेगा के अंतर्गत भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र के निर्माण पर अस्वीकार्य ₹ 51.83 लाख का व्यय किया गया।

- अटेली खंड ने पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि स्कीम के अंतर्गत तहसील कार्यालय भवन के निर्माण पर अस्वीकार्य ₹ 25 लाख का व्यय किया।

- 15 खंडों में 74 मामलों में मनरेगा और इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत मजदूरी के भुगतान में 17 और 210 दिनों के मध्य विलंब था, 371 लाभार्थियों ने अपनी आवासीय इकाइयां पूर्ण नहीं की थी और आठ खंडों में 913 पुरूष लाभार्थियों को सहायता दी गई थी जबकि लाभ महिला लाभार्थियों को दिया जाना अपेक्षित था।

- ₹ 21 लाख की निधियां पिछले आठ वर्षो से जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के भवनों का निर्माण न होने के कारण अवरूद्ध पड़ी थी। 118 भूतपूर्व सरपंचों से ₹ 68.78 लाख

की राशि की वसूली नहीं हुई थी। दो ग्राम पंचायतों में मस्टररोलों पर ₹ 0.15 लाख का अधिक भुगतान हुआ था।

- केंद्रीय वित्त आयोग के अधीन जारी ₹ 8.75 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण-पत्र जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, अंबाला से प्रतीक्षित थे। तीन पंचायती राज सस्थाओं में ₹ 3.18 करोड़ की निधियों का अवरोधन पाया गया।

(अध्याय-2)

शहरी स्थानीय निकायों का प्रोफाइल

राज्य में 9 नगर निगम, 14 नगर परिषद और 53 नगर समितियां हैं। शहरी स्थानीय निकायों का समग्र नियंत्रण निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय के माध्यम से प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी विकास के पास है। 74वें सवैधानिक संशोधन ने शहरी स्थानीय निकायों को सवैधानिक दर्जा दिया। 74वें संवैधानिक संशोधन के प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु शहरी स्थानीय निकायों की शक्तियों और कर्त्तव्यों के हस्तांतरण के लिए हरियाणा सरकार ने हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 और हरियाणा नगर अधिनियम, 1973 बनाए। 55 शहरी स्थानीय निकायों (आठ नगर निगमों, 12 नगर परिषदों और 35 नगर समितियों) के अभिलेखों की वर्ष 2011-13 के दौरान नमूना-जांच की गई थी।

(अध्याय-3)

शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के परिणाम

- चार शहरी स्थानीय निकायों ने ₹ 42.11 लाख का किराया वसूल नहीं किया।
- दो शहरी स्थानीय निकायों ने ₹ 4.64 लाख के फायर चार्जिज की वसूली नहीं की।
- छः शहरी स्थानीय निकाय, किराए और उन द्वारा प्राप्त विज्ञापन प्रभारों पर ₹ 1.62 करोड़ का सर्विस टैक्स लगाने में विफल रहे।
- शहरी स्थानीय निकायों ने ठेकेदारों से ₹ 41.93 लाख के श्रम उपकर की कटौती नहीं की।
- सोलिड वेस्ट मैनेजमैंट के अंतर्गत प्रदान ₹ 5.61 करोड़ की निधियां अप्रयुक्त पड़ी थी।
- विकास कार्यों के लिए प्रदान की गई ₹ 4.43 लाख की निधियां, बिजली बिलों और कुर्सियों की खरीद के भुगतान के लिए विपथित की गई थी।

- नगर निगम, पंचकुला में ₹ 19.14 लाख की निष्क्रिय मशीनरी पाई गई।
- दो शहरी स्थानीय निकायों में ₹ 106.82 करोड़ की 97.19 एकड़ भूमि अतिक्रमण अधीन थी।
- तीन नगरपालिकाओं में ₹ 6.25 करोड़ के अस्थाई अग्रिम लंबी अवधि से बकाया पड़े थे।

(अध्याय – 4)

पंचायती राज संस्थाएं

भाग – क: पंचायती राज संस्थाएं

अध्याय – 1

पंचायती राज संस्थाओं का प्रोफाइल

1.1 प्रस्तावना

73वें संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया और वित्त आयोगों इत्यादि के माध्यम से समरूप ढांचे, नियमित चुनावों, निधियों के नियमित प्रवाह की प्रणाली स्थापित की। अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में राज्यों द्वारा इन निकायों को ऐसी शक्तियां, कार्य और दायित्व सौंपने अपेक्षित थे जिनसे ये स्थानीय सरकार की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ हों। विशेष रूप से पंचायती राज संस्थाओं से भारतीय संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में शामिल सहित आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय हेतु योजनाएं तैयार करना और स्कीमों को कार्यान्वित करना अपेक्षित था।

73वें संवैधानिक संशोधन के पश्चात् राज्य सरकार ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 बनाया और हरियाणा पंचायती राज नियम, 1995 और हरियाणा पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे, लेखापरीक्षा, कराधान और निर्माण कार्य) नियम, 1996 तैयार किए ताकि ये संस्थाएं सरकार की तीसरी श्रेणी के रूप में कार्य करने में समर्थ हो सकें। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक और पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा यथा निर्धारित लेखांकन ढांचा राज्य सरकार द्वारा अपनाया गया है तथा वार्षिक लेखे (प्राप्तियां और व्यय) पंचायती राज संस्थाओं द्वारा तदनुसार अनुरक्षित किए जाने हैं।

1.2 लेखापरीक्षा व्यवस्था

पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा करना निदेशक, स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग, हरियाणा सरकार का उत्तरदायित्व है। लेखापरीक्षा करने के पश्चात् निरीक्षण रिपोर्टें संबंधित पंचायती राज संस्थाओं को जारी की जाती हैं। निरीक्षण रिपोर्टें जारी हाने के बाद पंचायती राज संस्थाओं द्वारा उत्तर दिए जाने होते हैं।

ग्यारहवें वित्त आयोग ने सिफारिश कि पंचायती राज संस्थाओं की सभी तीनों श्रेणियों/स्तरों हेतु लेखाओं के समुचित अनुरक्षण पर नियंत्रण एवं अधीक्षण रखने तथा उनकी लेखापरीक्षा का उत्तरदायित्व भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंपा जाना चाहिए। तेरहवें वित्तायोग ने

आगे सिफारिश की कि राज्य विधान सभा के सम्मुख नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण रिपोर्टों को प्रस्तुत करने की व्यवस्था सरकार द्वारा की जानी चाहिए। तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर, राज्य सरकार ने नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं की नमूना-लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंप दी (अगस्त 2008)। राज्य सरकार ने आगे अधिसूचित किया (दिसंबर 2011) कि वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन राज्य विधान परिषद् को प्रस्तुत किया जाएगा तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक या उनके प्रतिनिधि को अपने विवेकाधिकार से लेखापरीक्षा परिणामों की रिपोर्ट का अधिकार होगा।

1.3 पंचायती राज संस्थाओं का संगठनात्मक ढांचा

राज्य सरकार, पंचायती राज विभाग और जिला परिषद्, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का संगठनात्मक ढांचा नीचे दर्शाया गया है:

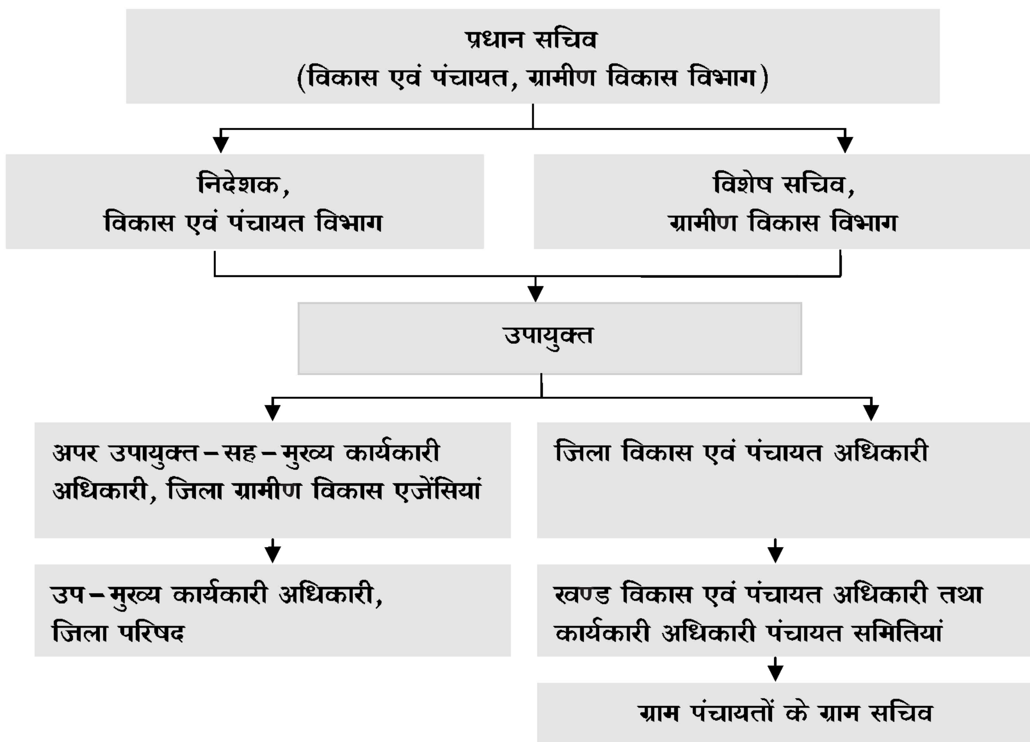

जिला परिषद् के अध्यक्ष, पंचायत समिति के सभापति और ग्राम पंचायत के सरपंच क्रमश: जिला परिषद्, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों के चयनित सदस्य तथा मुखिया होते हैं।

1.3.1 स्थाई समितियां

पंचायती राज संस्थाओं ने सौंपे गए कार्यों को करने के लिए स्थाई समितियां गठित कीं। पंचायती राज संस्थाओं की स्थाई समिति के गठन के ब्यौरे **तालिका 1** में दिए गए हैं।

तालिका 1: स्थाई समितियों की भूमिका तथा उत्तरदायित्व

पंचायती राज संस्थाओं का स्तर	स्थाई समिति का मुख्य	स्थाई समितियों के नाम	स्थाई समिति की भूमिका तथा उत्तरदायित्व
जिला परिषद	सभापति	*	जिला परिषद ऐसी समितियां गठित करती है जैसी यह अपने कार्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक समझे।
पंचायत समिति	सभापति	सामान्य समिति	स्थापन्न मामलों, संप्रेषण, भवन, ग्रामीण आवास, ग्राम विस्तार, राहत इत्यादि का ध्यान रखती है।
		वित्त, लेखापरीक्षा और योजना समिति	पंचायत समिति के वित्त, बजट तैयार करना और सहकारिता, लघु बचत योजना तथा खंड की विकास योजना से संबंधित किन्हीं अन्य कार्यों का ध्यान रखती हैं।
		सामाजिक न्याय समिति	अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों की शिक्षा के प्रोत्साहन, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा अन्य हितों का ध्यान रखती है।
ग्राम पंचायत	सभापति	उत्पादन उप-समिति	कृषि उत्पादन, पशुपालन, ग्रामीण उद्योगों तथा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का ध्यान रखती है।
		सामाजिक न्याय उप-समिति	अनुसूचित जातियों एवं पिछड़ें वर्गों तथा अन्य कमजोर वर्गों की शिक्षा के प्रोत्साहन, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, खेलकूद, खेलों तथा अन्य हितों तथा महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण के प्रोत्साहन का ध्यान रखती है।
		सुख सुविधाएं उप-समिति	ग्राम पंचायत की उप-समितियों के अन्य कार्यों तथा शिक्षा, जन-स्वास्थ्य, लोक निर्माण कार्यों का ध्यान रखती है।

***नोट: अधिनियम में जिला परिषद् में स्थाई समितियों के नामों का उल्लेख नहीं किया गया है।**

1.3.2 स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए संस्थागत व्यवस्थाएं

पंचायती राज संस्थाओं के पास तकनीकी तथा गैर-तकनीकी स्टॉफ है। 4,500 स्वीकृत पदों के विरूद्ध 954 पद (जूनियर इंजीनियर: 80; लिपिक: 167; ड्राईवर: 33, ग्राम सचिव: 177 और अन्य: 497) 31 मार्च 2012 को खाली पड़े थे (**परिशिष्ट 1**)।

1.3.3 कार्यों की सुपुर्दगी

73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 में पंचायती राज संस्थाओं की निधियों, कार्यों और कार्यकर्त्ताओं की सुपुर्दगी का विचार किया गया है ताकि उन्हें वित्तीय रूप से समर्थ तथा स्वायत बनाया जा सके। राज्य ने संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में शामिल 29 कार्यों में से 10 कार्य पंचायती राज संस्थाओं को सौंपे हैं जो **तालिका 2** में दर्शाए गए हैं।

तालिका 2: पंचायती राज संस्थाओं को सौंपे गए कार्यों का ब्यौरा

क्र.सं.	पंचायती राज संस्थाओं को सौंपे गए तथा हस्तांतरित कार्य
1.	आवश्यक पदार्थों का वितरण (पी.डी.एस.)
2.	स्वास्थ्य, योजना, सामाजिक निगरानी
3.	जलापूर्ति प्रणाली का विकास
4.	असहायों का कल्याण, अनाथों और निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता, वृद्धों का कल्याण, विधवा पेंशन
5.	सिंचाई
6.	पशुधन का विकास, पशु चिकित्सा सेवाएं, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सहायता सहित भोजन और चारा
7.	स्कूल भवनों का निर्माण, मरम्मत, अनुरक्षण
8.	एकीकृत बाल विकास योजना, टीकाकरण, पोषण कार्यक्रम, स्वास्थ्य जांच कैंप, संदर्भ सेवा, महिला सशक्तिकरण तथा अन्य स्कीमें
9.	कृषि विस्तार सेवाएं
10.	पौधारोपण

1.4 वित्तीय प्रोफाइल

1.4.1 पंचायती राज संस्थाओं को निधि प्रवाह

निधि प्रवाह: पंचायती राज संस्थाओं में निधि का स्रोत और अभिरक्षा

पंचायती राज संस्थाओं के संसाधन आधार में स्वयं का राजस्व, राज्य वित्त आयोग (एस.एफ.सी) अनुदान, केन्द्रीय वित्त आयोग (सी.एफ.सी) अनुदान, राज्य सरकार के अनुदान और केन्द्रीय सरकार के अनुदान शामिल हैं। जबकि केन्द्रीय तथा राज्य अनुदान इस संबंध में भारत सरकार

और राज्य सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों के अनुसार केन्द्रीय तथा राज्य प्रायोजित स्कीमों के निष्पादन के लिए प्रयुक्त होते हैं, पंचायती राज संस्थाओं की स्वयं की प्राप्तियां पंचायती राज संस्थाओं द्वारा बनाई गई योजनाओं/कार्यों के निष्पादन में प्रयोग की जाती हैं। प्रमुख स्कीमों के लिए निधि प्रवाह व्यवस्थाएं नीचे **तालिका 3** में दर्शाई गई हैं:

तालिका 3: प्रमुख केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों में निधि प्रवाह व्यवस्थाएं

क्र.सं.	स्कीम	निधि प्रवाह व्यवस्थाएं
1	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा)	भारत सरकार तथा राज्य सरकार मनरेगा की अपनी-अपनी निधियों के हिस्से राज्य रोजगार गारंटी निधि नामक बैंक खाते में हस्तांतरित करते हैं जिसे राज्य खातों से अलग रखा जाता है। राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी निधि से निधियां जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों तथा ग्राम पंचायतों को जारी की जाती हैं।
2	इंदिरा आवास योजना	इंदिरा आवास योजना भारत सरकार तथा राज्य सरकार के बीच 75:25 के अनुपात में लागत-हिस्सा आधार पर निधिबद्ध एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम है। निधियां संबंधित जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के माध्यम से दो किश्तों में सीधे लाभार्थी के खाते में हस्तांतरित कर दी जाती हैं। दूसरी किश्त निर्माण कार्य के लिंटल स्तर तक पहुंचने के बाद जारी की जाती है।
3	एकीकृत वाटरशैड विकास कार्यक्रम	निधियां जिला ग्रामीण विकास एजेंसी द्वारा वाटरशैड समिति को जारी की जाती हैं जोकि बैंक में एक खाता खुलवाती है। इस स्कीम के अंतर्गत निधियों का प्रवाह कार्यों के निष्पादन के लिए वाटरशैड विकास विभाग से जिला ग्रामीण विकास एजेंसी को और जिला ग्रामीण विकास एजेंसी से वाटरशेड समिति को होता है।
4	स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	परियोजना की कुल लागत केंद्र तथा राज्य में 75: 25 अनुपात में शेयर की जाती है। निधियां संबंधित जिला ग्रामीण विकास एजेंसी द्वारा खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों के माध्यम से सीधे लाभार्थियों को जारी की जाती हैं।
5	पूर्ण स्वच्छता अभियान	इस स्कीम के अंतर्गत निधियों का हिस्सा क्रमश: केंद्र, राज्य तथा समुदाय के बीच 60:30:10 के अनुपात में किया जाता है। भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति पर ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जिला ग्रामीण विकास एजेंसी को उपयुक्त हिस्सा जारी कर दिया जाता है।

1.4.2 संसाधन: प्रवृत्तियां एवं संयोजन

2008-09 से 2012-13 की अवधि के लिए पंचायती राज संस्थाओं के संसाधनों का विवरण **तालिका 4** में दिया गया है।

तालिका 4: पंचायती राज संस्थाओं के संसाधनों पर समयवार डाटा

(₹ करोड़ में)

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
स्वयं का राजस्व	191.89	275.88	150.00	211.80	228.00
केंद्रीय वित्त आयोग हस्तांतरण (केंद्रीय वित्त आयोग सुपुर्दगी)	77.60	77.60	101.16	170.48	246.39
राज्य वित्त आयोग हस्तांतरण (राज्य वित्त आयोग सुपुर्दगी)	229.22	124.32	76.66	143.00	171.86
सी.एस.एस. के लिए अनुदान (केंद्र तथा राज्य का हिस्सा)	334.05	353.84	429.95	560.09	626.72
राज्य स्कीमों के लिए राज्य सरकार के अनुदान	175.75	69.76	208.04	304.56	351.47
कुल	**1,008.51**	**901.40**	**965.81**	**1,389.93**	**1,624.44**

1.4.3 निधियों का उपयोग: प्रवृत्तियां एवं संयोजन

2008-09 से 2012-13 की अवधि के लिए पंचायती राज संस्थाओं की निधियों के उपयोग के विवरण नीचे **तालिका 5** में दिए गए हैं:

तालिका 5: पंचायती राज संस्थाओं की निधियों का उपयोग

(₹ करोड़ में)

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
अपने राजस्व से व्यय	191.89	275.88	150.00	211.80	228.00
केंद्रीय वित्त आयोग हस्तांतरणों से व्यय (केंद्रीय वित्त आयोग सुपुर्दगियां)	77.60	77.60	101.16	170.48	246.39
राज्य वित्त आयोग हस्तांतरणों से व्यय (राज्य वित्त आयोग सुपुर्दगियां)	229.22	124.32	76.66	143.00	171.86
सी.एस.एस. पर व्यय	292.00	381.21	446.22	579.48	631.88
राज्य स्कीमों पर व्यय	175.75	69.76	208.04	304.56	351.47
कुल	**966.46**	**928.77**	**982.08**	**1,409.32**	**1,629.60**

स्रोत: निदेशक, पंचायती राज, हरियाणा

नोट: 01 अप्रैल 2008 को ₹ 122.73 करोड़ की राशि के अव्ययित शेष के कारण सी.एस.एस. के अंतर्गत व्यय, प्राप्तियों से अधिक था।

1.5 लेखांकन व्यवस्था

उप–मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषदों के लेखाओं के रख–रखाव के लिए उत्तरदायी होता है और खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी–सह–कार्यकारी अधिकारी लेखाकार की सहायता से पंचायत समितियों के लेखाओं का रख–रखाव करता है जबकि ग्राम सचिव/सैक्रेटरी ग्राम पंचयायतों के लेखाओं का रख–रखाव करता है।

राज्य सरकार ने अप्रैल 2010 से मॉडल एकाऊंटिग स्ट्रक्चर 2009 को अपनाया है, जिसे नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के परामर्श से पंचायती राज मंत्रालय ने विकसित किया है, परंतु राज्य में अभी इस प्रणाली का कार्यान्वयन होना शेष है (अक्तूबर 2013)।

निदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग ने बताया (नवंबर 2013) कि मॉडल एकाऊंटिग स्ट्रक्चर कार्यान्वयन के प्रारंभिक स्तर पर है और क्षेत्रीय अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाना अपेक्षित है। आगे यह बताया गया कि कार्य शीघ्र होने की संभावना है।

1.6 लेखापरीक्षा विस्तार

21 में से नौ जिला परिषदों, 119 में से 54 पंचायत समितियों और 6,083 में से 663 ग्राम पंचायतों के 2008–13 की अवधि के लेखाओं के अभिलेखों की वर्ष 2011–13 के दौरान नमूना–जांच की गई थी। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणामों पर अध्याय–2 में चर्चा की गई है।

1.7 बकाया निरीक्षण रिपोर्टें

निरीक्षण रिपोर्ट तथा जारी किए गए, समाधान किए गए तथा मार्च 2013 को बकाया पैराओं के विवरण **तालिका 6** में दर्शाए गए हैं:

तालिका 6: पंचायती राज संस्थाओं की बकाया निरीक्षण रिपोर्टें

क्र.सं.	निरीक्षण रिपोर्ट जारी करने का वर्ष	बकाया लेखपरीक्षा आपत्ति का आरंभिक शेष		जमा		कुल		निपटाई गई निरीक्षण रिपोर्टों/पैराओं की संख्या		31 मार्च 2013 को बकाया निरीक्षण रिपोर्टों/पैराओं की संख्या	
		निरीक्षण रिपोर्टें	पैरे	निरीक्षण रिपोर्टें	पैरे	निरीक्षण रिपोर्टें	पैरे	निरीक्षण रिपोर्टें	पैरे	निरीक्षण रिपोर्टें	पैरे
1.	2008-09	-	-		-	-	-	-	-	-	-
2.	2009-10	-	-	51	459	51	459	-	7	51	452
3.	2010-11	51	452	45	371	96	823	-	12	96	811
4.	2011-12	96	811	43	301	139	1,112	-	3	139	1,109
5.	2012-13	139	1,109	36	241	175	1,350	-	-	175	1,350

अध्याय – 2

पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा के परिणाम

2.1 मनरेगा के अंतर्गत भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र के निर्माण पर अस्वीकार्य व्यय

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र के निर्माण के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा) के अंतर्गत निर्माण कार्यों के क्षेत्र का विस्तार किया (नवंबर 2009)। आगे स्कीम के मार्ग-निर्देशों के अनुसार, पिछड़े जिलों में भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र के निर्माण पर श्रम घटकों को मनरेगा से परिपूर्ण किया जाना था तथा सामग्री लागत का व्यय पिछड़े क्षेत्र अनुदान निधि से किया जाना था। महेन्द्रगढ़ जिले को पिछड़ा क्षेत्र जिले के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया था।

महेन्द्रगढ़ जिले के तीन खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों के अभिलेखों की जांच ने दर्शाया कि महेन्द्रगढ़, कनीना और अटेली में भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों का निर्माण कार्य 2010-11 के दौरान विभाग द्वारा किया गया था तथा ₹ 56.26[1] लाख का व्यय मनरेगा निधियों में से किया गया था। लेखापरीक्षा में अवलोकित किया गया कि इसमें से ₹ 51.83[2] लाख की राशि सामग्री घटक पर खर्च की गई जोकि पिछड़े क्षेत्र अनुदान निधि से वहन की जानी अपेक्षित थी। यद्यपि इस अवधि के दौरान पिछड़े क्षेत्र अनुदान निधि के अन्तर्गत जिले में ₹ 12.13 करोड़ की पर्याप्त निधियां उपलब्ध थी, फिर भी व्यय पिछड़े क्षेत्र अनुदान निधि से वहन नहीं किया था। खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों कनीना और अटेली ने बताया (नवंबर 2012) कि भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों के निर्माण पर व्यय जिला ग्रामीण विकास एजेंसी नारनौल के अनुमोदन से किया गया था जबकि खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी महेंद्रगढ़ ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया (जुलाई 2013) कि जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, नारनौल को राशि पिछड़े क्षेत्र अनुदान निधि से मनरेगा में हस्तांतरित करने के लिए अनुरोध कर दिया गया था। खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों कनीना और अटेली के उत्तरों ने इंगित किया कि भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र

---

1 महेन्द्रगढ़: ₹ 18.99 लाख, कनीना: ₹ 21.38 लाख और अटेली: ₹ 15.89 लाख।

2 महेन्द्रगढ़: ₹ 17.87 लाख, कनीना: ₹ 20.15 लाख और अटेली: ₹ 13.81 लाख।

के निर्माण कार्य के लिए जिला ग्रामीण विकास एजेंसी द्वारा किया गया अनुमोदन मनरेगा मार्गनिर्देशों के अनुरूप नहीं था।

2.2 अटेली में तहसील कार्यालय भवन के निर्माण पर अस्वीकार्य व्यय

पिछड़े क्षेत्र अनुदान निधि के अंतर्गत जारी विकास निधियां विकास के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण रिक्तता को भरने के लिए प्रयुक्त की जानी थी। पंचायती राज संस्थाएं तथा शहरी स्थानीय निकाय इन निधियों को संविधान की क्रमश: ग्यारहवीं अनुसूची (धारा 243 डब्ल्यू.) और बाहरवीं अनुसूची (धारा 243 जी.) में सूचीबद्ध किसी भी प्रयोजन के लिए प्रयोग करने के लिए अधिकृत थे।

कार्यकारी अभियंता, पंचायती राज, नारनौल के अभिलेखों की जांच से प्रकट हुआ कि अटेली में तहसील कार्यालय का निर्माण कार्य अगस्त 2009 में प्रारंभ किया गया था तथा मार्च 2011 के अंत तक पिछड़े क्षेत्र अनुदान निधि में से ₹ 25 लाख की लागत पर जनवरी 2012 में पूर्ण किया गया था। तथापि व्यय की मद ग्यारहवीं अनुसूची तथा बाहरवीं अनुसूची के अंतर्गत आवृत नहीं थी। अत: पिछड़े क्षेत्र अनुदान निधि से तहसील भवन के निर्माण के लिए व्यय अनियमित था। कार्यकारी अभियंता, पंचायती राज नारनौल ने बताया (जुलाई 2013) कि भवन का निर्माण पंचायत समिति अटेली कार्यालय के परिसर में किया गया था। तहसील कार्यालय कार्यसाधक व्यवस्था के रूप में स्थानांतरित किया गया था तथा भवन का उपयोग बाद में पंचायत समिति द्वारा किया जाएगा। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि भवन निर्माण का अनुमान जिला आयोजना समिति की सिफारिश पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा तहसील कार्यालय भवन के लिए अनुमोदित किया गया था। आगे, पंचायत समिति के लिए भवन का निर्माण ग्याहरवीं और बारहवीं अनुसूची में दिए प्रयोजनों में से नहीं था।

2.3 मजदूरी के भुगतान में विलंब

मनरेगा में प्रावधान है कि मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक हो या किसी भी स्थिति में उस तिथि से 15 दिन से अधिक समय बाद न हो जब यह कार्य किया गया था। भुगतान में किसी विलंब की स्थिति में मजदूर, भुगतान अधिनियम, 1936 के प्रावधानों के अनुसार प्रतिपूर्ति के हकदार हैं।

खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों के अभिलेखों की जांच से प्रकट हुआ कि छः[3] खंडों में 2008–12 के दौरान नमूना–जांच की गई ग्राम पंचायतों में 74 मस्टर रोलों में मजदूरी भुगतान में विलंब 17 और 210 दिनों में श्रृंखलित था (**परिशिष्ट 2**)। आगे, स्कीम के मार्गनिर्देशों के अनुसार विलंब से मजदूरी के भुगतान के लिए मजदूरों को पूतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया गया था।

2.4 स्वर्णज्यंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत निष्फल व्यय

स्वर्णज्यंती ग्राम स्वरोजगार योजना मार्ग–निर्देशों के पैरा 1.1 में निहित प्रावधानों के अनुसार, स्वर्णज्यंती ग्राम स्वरोजगार योजना का उद्देश्य प्रत्येक सहायता प्राप्त परिवार (स्वरोजगारी) को बैंक क्रेडिट और सरकारी परिदान सहायता के मिश्रण के माध्यम से आय उत्पन्न करने वाली परिसंपत्तियां उपलब्ध करवाकर तीन वर्षों के भीतर गरीबी रेखा से ऊपर लाना था। आगे, मार्ग निर्देशों के पैरा 10 के अनुसार, यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्वरोजगारी गरीबी रेखा पार करता है, उसे परिदान तथा ऋण के माध्यम से सहायता उपलब्ध करवाना पर्याप्त नहीं होगा, वृद्धित आय के सृजन हेतु उसकी परिसंपत्तियों के प्रबंध की प्रगति का लगातार अनुसरण, निगरानी और मूल्यांकन करना होगा।

2006–12 की अवधि के लिए स्वर्णज्यंती ग्राम स्वरोजगार योजना से संबंधित जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, भिवानी के अभिलेखों की जांच से प्रकट हुआ कि मार्च 2012 तक केवल 19 स्वरोजगारियों ने गरीबी रेखा पार की थी (**परिशिष्ट 3**) जबकि 12,143 स्वयं सहायता समूहों/स्वरोजगारियों को ₹ 11.86 करोड़ की परिदान राशि का भुगतान किया गया था, इसके अतिरिक्त ₹ 34.48 करोड़ की राशि का ऋण बैंकों द्वारा प्रदान किया गया था।

अतः सहायता प्राप्त गरीब परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने की स्कीम का उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ यद्यपि स्वरोजगारियों को परिदान के भुगतान के तौर पर ₹ 11.86 करोड़ का पूरा व्यय किया गया था। सरकार को स्कीम की समीक्षा करनी चाहिए ताकि उन्हें गरीबी रेखा पार करने में समर्थ बनाने के लिए इसे पर्याप्त रूप से संशोधित किया जा सके।

2.5 इंदिरा आवास योजना का कार्यान्वयन

इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) केंद्रीय प्रायोजित स्कीम है जो भारत सरकार और राज्य सरकार के मध्य 75:25 के अनुपात में लागत हिस्सेदारी आधार पर निधिपोषित है। निधियां संबंधित जिला

---

[3] (i) जगाधरी, (ii) रादौर, (iii) सडौरा, (iv) छछरौली, (v) मुस्तफाबाद और (vi) गुहला।

ग्रामीण विकास एजेंसी के माध्यम से दो किश्तों में सीधे ही लाभार्थियों के खाते में हस्तांतरित की जाती हैं। निर्माण कार्य के लिंटेल स्तर तक पंहुचने के बाद दूसरी किश्त जारी की जाती है।

2.5.1 इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत आवासीय इकाइयों का पूर्ण न होना

इंदिरा आवास योजना का उद्देश्य मुख्य रूप से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण गरीब सदस्यों की आवासीय इकाइयों के निर्माण में सहायता करना है। स्कीम के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी को दो किश्तों में ₹ 45,000 की सहायता प्रदान की जाती है।

अभिलेखों की जांच से प्रकट हुआ कि 15 खंडों[4] में अप्रैल 2008 और मार्च 2012 की अवधि के बीच 371 लाभर्थियों को ₹ 90 लाख (**परिशिष्ट 4**) पहली किश्त के रूप में जारी किए गए थे और इन लाभार्थियों ने अपनी आवासीय ईकाइयों का निर्माण जुलाई 2013 तक पूरा नहीं किया था। यह दर्शाता है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कोई नियंत्रण यंत्रावली नहीं थी कि इन लाभार्थियों ने वह स्तर पूर्ण कर लिया है जिसके लिए पहली किश्त जारी की गई थी तथा दूसरी किश्त यदि उन्होंने इसकी मांग की है तो जारी न करने के क्या कारण थे। संबंधित खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी ने बताया (जुलाई 2013) कि चूककर्ता लाभार्थियों के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।

2.5.2 महिला लाभार्थियों को आवासीय इकाइयों का आबंटन न करना

स्कीम के मार्गनिर्देशों में प्रावधान है कि आवासीय इकाइयां लाभार्थी घरेलू महिला सदस्य के नाम होनी चाहिए। दूसरी ओर इसका आबंटन पति-पत्नी दोनों के नाम पर हो सकता है। तथापि, यदि परिवार में कोई महिला सदस्य जीवित नहीं है, तो लाभ पुरूष सदस्य को दिया जा सकता है। चयनित खंडों की लेखापरीक्षा जांच में प्रकट हुआ कि (**परिशिष्ट 5**) में दिए गए विवरणों के अनुसार आठ खंडों में स्कीम के मार्ग निर्देशों की उल्लंघना में 913 आवासीय ईकाइयां महिला सदस्यों के होते हुए भी पुरूष लाभार्थियों के नाम आबंटित की गई थी।

अतः स्कीम का महिलाओं के उत्थान का उद्देश्य अपूर्ण रहा। तथ्यों को स्वीकारते हुए खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों, अटेली और पानीपत ने बताया (नवंबर 2012) कि राशियां लाभार्थियों को अपर-उपायुक्तों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचियों के आधार पर जारी की गई थी। उत्तर इंगित

---

4 (i) अटेली, (ii) कैथल, (iii) इसराना, (iv) नारनौल, (v) मतलौडा, (vi) नांगल चौधरी, (vii) कनीना, (viii) नारनौंद, (ix) बड़ा गुड्डा, (x ओधा, (xi) सिरसा, (xii) बढारा, (xiii) कैरू, (xiv) फिरोजपुर झिरका और (xv) नगीना।

करता है कि अपर-उपायुक्त ने स्कीम के मार्ग निर्देशों के प्रावधानों के उल्लंघन में पुरूष लाभार्थियों का चयन किया था।

खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, इसराना ने तथ्यों को स्वीकारते हुए बताया (नवंबर 2012) कि घरेलू महिला को लाभ प्रदान करने संबंधी मार्ग निर्देशों का भविष्य में ध्यान रखा जाएगा।

2.6 जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के भवनों का आठ वर्ष तक निर्माण न करना

भारत सरकार तथा राज्य सरकार ने जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, पानीपत और नारनौल को जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के भवनों के निर्माण के लिए ₹ 21 लाख (प्रत्येक को ₹ 10.50 लाख) की राशि जारी की थी (मार्च-मई 2004)। संबंधित जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के अभिलेखों की जांच से प्रकट हुआ कि आठ वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के बाद भी भवनों का निर्माण कार्य अभी शुरू नहीं किया गया था (नवंबर 2013)। राशि बचत बैंक खातों में अप्रयुक्त पड़ी थी। निर्माण में विलंब के कारण अनुदान का उपयोग नहीं हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 21 लाख की निधियों का अवरोधन हुआ।

जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, नारनौल ने बताया (नवंबर 2013) कि भवन का निर्माण कार्य भवनों के निर्माण के लिए भूमि की अनुपलब्धता के कारण शुरू नहीं किया जा सका जबकि जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, पानीपत ने कहा (नवंबर 2013) कि भवन का निर्माण भूमि की अनुपलब्धता के कारण नहीं किया जा सका और सरकार को राशि वापस करने की कार्रवाई की जा रही है क्योंकि जिला ग्रामीण विकास एजेंसी कार्यालय मिनी सचिवालय में स्थानान्तरित हो गया था। इससे इंगित हुआ कि जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना निर्माण कार्य स्वीकृत हो रहे थे और निधियां जारी की जा रही थी।

2.7 भूतपूर्व सरपंचों से बकायों की वसूली न करना

हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 18(2) के अनुसार खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, ग्राम पंचायत के चुनाव कार्यक्रम के प्रकाशन से सात दिन की अवधि के भीतर या सरपंच के निलंबन या निष्कासन की स्थिति में सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अभिलेखों, रजिस्टरों तथा अन्य संपत्ति को उस व्यक्ति को सौंपने के आदेश दे सकता है जो अभिलेख और संपत्ति की अभिरक्षा के लिए अधिकृत हो।

नमूनाकृत खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों के अभिलेखों की जांच से प्रकट हुआ कि 21 खंडों, 118 भूतपूर्व सरपंचों/पंचों, एक कार्यकारी अधिकारी (पंचायत समिति) और एक जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी ने खंड विकास और पंचायत अधिकारी या ग्राम सचिव को ₹ 68.78 लाख की राशि (**परिशिष्ट 6**) के रोकड़ बकाया सुपुर्द नहीं किए थे और राशि उनके पास 1987-2011 से पड़ी थी। राशि वसूल करने के लिए चूककर्ता भूतपूर्व सरपंचों के विरूद्ध उपयुक्त कार्रवाई, जैसा कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम में प्रावधान है, नहीं की गई थी। बारह[5] खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों ने तथ्यों को स्वीकारते हुए कहा (जुलाई 2013) कि दोषी भूतपूर्व सरपंचों के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।

2.8 जाली मस्टर रोलों पर अतिरिक्त भुगतान

मस्टर रोलों पर श्रमिकों को भुगतान से संबंधित अभिलेखों की जांच से निम्नलिखित अनियमितताएं प्रकट की।

- खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, आदमपुर के अधीन ग्राम पंचायत, कोहली ने पूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत निर्माण कार्य के निष्पादन के लिए मस्टर रोल पर श्रमिकों को ₹ 33,120 का भुगतान किया (जुलाई 2009)। लेखापरीक्षा जांच से प्रकट हुआ कि देय राशि केवल ₹ 21,920 थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 11,200 का अतिरिक्त भुगतान था। यह पाया गया कि सरपंच और ग्राम सचिव ने कैश बुक में दर्ज की गई राशि को वाऊचर/मस्टर रोलों की राशि के साथ नहीं मिलाया था। इस पर नियंत्रण न रखने के कारण अतिरिक्त भुगतान का पता नहीं लगाया जा सका। खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, आदमपुर ने बताया (जुलाई 2013) कि भुगतान की गई अतिरिक्त राशि की वसूली के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

- खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, नारनौंद के अधीन ग्राम पंचायत, कापरों ने 10 दिसंबर 2009 से 29 दिसंबर 2009 तक कन्या विद्यालय से गौशाला तक रास्ते में

[5] (i) आदमपुर, (ii) अंबाला-I, (iii) बराड़ा, (iv) गुल्हा चीका, (v) हांसी-II, (vi) कलायत, (vii) कनीना, (viii) नारायणगढ़, (xi) पुंडरी, (x) राजौंद, (xi) सीवान और (xii) समालखा।

जमीन की भराई के लिए 16 श्रमिकों को नियुक्त किया था। परन्तु 16 श्रमिकों में से तीन[6] श्रमिकों को 10 दिसंबर 2009 से 18 दिसंबर 2009 के दौरान डिस्पैंसरी की दीवार के निर्माण पर नियुक्त पाया गया था और उन्हें ₹ 4,077 की राशि का भुगतान भी किया गया था। इस प्रकार ये श्रमिक नौ दिनों के लिए दो निर्माण कार्यों पर लगे हुए दिखाए गए जोकि धोखाधड़ीपूर्ण भुगतान था। लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किए जाने (दिसंबर 2011) पर खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, नारनौंद ने बताया (जुलाई 2013) कि ₹ 4,077 की राशि संबंधित ग्राम पंचायत से वसूल कर ली गई थी।

2.9 मस्टर रोलों का अनुपयुक्त रख–रखाव

प्रक्रिया के अनुसार, सही व्यक्तियों को भुगतान सुनिश्चित करने के लिए यह अपेक्षित है कि प्रत्येक नैमितिक श्रमिक को सक्षम प्राधिकारी की उपस्थिति में भुगतान की रसीद के टोकन के रूप में मस्टर रोल पर अपने हस्ताक्षर या अंगूठा चिन्ह दर्ज करना चाहिए।

खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, हांसी–II के अंतर्गत ग्राम पंचायत, सिंघवा खास के अभिलेखों की नमूना–जांच से प्रकट हुआ कि अगस्त–सितंबर 2008 में मस्टर रोलों में स्वर्णज्यंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत मिट्टी भरने के निर्माण कार्य पर 17 श्रमिक रखे गए थे और उनको ₹ 1.46 लाख का भुगतान किया दर्शाया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि मस्टर रोलों में उनके नाम के सामने श्रमिकों के हस्ताक्षर/अंगूठा चिन्ह नहीं पाए गए थे। हस्ताक्षर/अंगूठा चिन्ह की अनुपस्थिति में निधियों के दुर्विनियोजन से इनकार नहीं किया जा सकता। यह इंगित किए जाने पर खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, हांसी–II ने बताया (जुलाई 2013) कि राशि की वसूली के लिए सरपंच को नोटिस जारी कर दिया गया था।

2.10 उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की अप्राप्ति

केंद्रीय वित्त आयोग अनुदानों की संस्वीकृतियों के अनुसार, उपयोगिता प्रमाण–पत्र निदेशक, पंचायत और विकास को अनुदान जारी होने के तीन मास के भीतर जिला विकास और पंचायत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किए जाने अपेक्षित थे। जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, अंबाला के

6 राजिंद्र सुपुत्र पाला, राजकुमार सुपुत्र पाला राम और कृष्ण सुपुत्र मांगेराम।

अभिलेखों की जांच के दौरान यह पाया गया कि 2007-12 के दौरान जारी कुल ₹ 15.90[7] करोड़ में से ₹ 8.75[8] करोड़ के उपयोगिता प्रमाण-पत्र विभाग को फरवरी 2013 तक प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

2.11 निधियों का विपथन

आबकारी तथा काराधान विभाग के आदेशों (1999-2000) के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं, जिनके अधिकार क्षेत्र में शराब बेची जाएगी, को ₹ 1 प्रति बोतल शराब की दर पर और ₹ 0.75 प्रति बोतल बीयर की दर पर भुगतान किया जाएगा। इस प्रकार संग्रहित राशि संबंधित जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी के खाते में जमा करवाई जाएगी जो प्राप्ति के सात दिनों के भीतर राशि को क्रमश: ग्राम पंचायतों, पंचायत समिति तथा जिला परिषदो को 75, 15 और 10 प्रतिशत के अनुपात में संवितरित करेगा। राशि को जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी के कार्यालय में किसी भी प्रयोजन के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाना था।

जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, अंबाला के अभिलेखों की जांच से प्रकट हुआ कि ₹ 3.16 लाख की राशि आबकारी तथा कराधान विभाग के आदेशों की उल्लंघना में कार्यालय के आकस्मिक व्यय के लिए प्रयुक्त की गई थी। इंगित किए जाने पर, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी ने उत्तर दिया (सितंबर 2013) कि राशि अप्रैल 2008 और मार्च 2012 के बीच कार्यालय के आकस्मिक व्ययों के तौर पर विभाग से इस प्रयोजन के लिए निधियों की अप्राप्ति के कारण खर्च की गई थी तथा जब भी निधियां प्राप्त की जाएगी, राशि को वापस कर दिया जाएगा।

2.12 व्यक्तिगत बही खाते में पड़ी निधियां

जिला परिषद्, कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों के खर्चों तथा जिला परिषद, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों के निर्वाचित सदस्यों को मानदेय के भुगतान के लिए सरकार से प्राप्त निधियों को क्रेडिट करने के लिए पर्सनल लेजर एकाऊंट (पी.एल.ए.) अनुरक्षित करता है। 2009-10 तक प्रचलित प्रथा के अनुसार निधियां जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी द्वारा निकालवाई जाती थी

---

7 2007-08: ₹ 0.34 करोड़, 2008-09: ₹ 3.70 करोड़, 2009-10: ₹ 3.53 करोड़, 2010-11: ₹ 0.46 करोड़, 2011-12: ₹ 7.87 करोड़।

8 2007-08: ₹ 0.03 करोड़, 2009-10: ₹ 0.39 करोड़, 2010-11: ₹ 0.46 करोड़, 2011-12: ₹ 7.87 करोड़।

और संबंधित जिला परिषद के पी.एल.ए. में जमा करवाई जाती थी। 2010–11 से राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिला परिषद के उप–मुख्य कार्यकारी अधिकारी को आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डी.डी.ओ.) घोषित कर दिया गया था और जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी द्वारा निधियों को निकालने और उसे पी.एल.ए. में क्रेडिट करने की प्रणाली समाप्त कर दी गई थी। आगे, एकाऊंट कोड वोल्यूम–1 के नियम 12.7 में प्रावधान है कि यदि व्यक्तिगत जमा खाता काफी समय तक प्रचालित नहीं किया जाता तो यह माना जाएगा कि जमा खाता की आवश्यकता समाप्त हो गई है, जिस अधिकारी के नाम जमा खाता खोला गया था उससे परामर्श के बाद उसे बंद कर दिया जाना चाहिए।

जिला परिषद भिवानी के अभिलेखों की जांच में प्रकट हुआ कि कर्मचारियों के वेतन संवितरण तथा जिला परिषद, पंचायत समितियों तथा ग्राम पंचायतों के चयनित सदस्यों के मानदेय के भुगतान के लिए अप्रैल 2009 में प्राप्त ₹ 20.88 लाख में से ₹ 20.22 लाख की राशि नवंबर 2012 तक पी.एल.ए. में पड़ी थी। चूंकि राशि पर्याप्त समय (तीन वर्षों से अधिक) से व्यय किए बिना पड़ी थी, पी.एल.ए. को बंद किया जाना चाहिए था और राशि उसी खाता शीर्ष में जमा होनी चाहिए थी जिसमें से निकाली गई थी परन्तु पी.एल.ए. बंद नहीं किया गया था। यदि पी.एल.ए. बंद किया गया होता तथा उसमें पड़े शेष सरकार को वापस किए जाते तो राशि सरकार द्वारा उसकी अन्य गतिविधियों पर प्रयोग की जाती। जिला परिषद, भिवानी ने तथ्यों को स्वीकारते हुए कहा (जुलाई 2013) कि राशि जिस खाता शीर्ष में जमा करवाई जानी है उसके बारे में मुख्यालय से आवश्यक मार्ग निर्देश प्राप्त किए जा रहे थे।

2.13 निधियों का अवरोधन

पंचायती राज संस्थाओं को प्लाटों आदि के आबंटन के लिए प्रयुक्त भूमि के बदले में स्वर्ण ज्यंती ग्राम स्वरोजगार योजना (हाटों) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना, वार्षिकी के अंतर्गत प्राप्त अनुदान निर्धारित अवधि के भीतर विशिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने हैं और संबंधित प्राधिकारी को उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किए जाने हैं।

तीन[9] पंचायती राज संस्थाओं के अभिलेखों की जांच के दौरान यह पाया गया कि इन पंचायती राज संस्थाओं ने सितंबर 2010 और मार्च 2011 के बीच विभिन्न स्कीमों के अधीन ₹ 3.22 करोड़ की राशि प्राप्त की। इसमें से ₹ 3.18 करोड़ की राशि अनुदान के जारी होने के 28 से 34 माह की अवधि के व्यतीत होने पर भी अव्ययित पड़ी थी। अनुदानों का उपयोग न करने के परिणामस्वरूप उन उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हुई जिनके लिए अनुदान जारी किए गए थे।

कार्यकारी अभियंता (पंचायती राज संस्था), अंबाला ने बताया (जुलाई 2013) कि हाटज का निर्माण भूमि की उपलब्धता न होने से समय पर शुरू नहीं किया जा सका और हाटज का निर्माण कुछ अन्य गांवों में प्रगति पर था जिनमें भूमि उपलब्ध थी। कार्यकारी अभियंता (पंचायती राज संस्था), मेवात ने बताया (जुलाई 2013) कि कार्य के लिए खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों को अभी तक ₹ 0.10 लाख संवितरित किए जा चुके थे। जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, मेवात ने बताया (जुलाई 2013) कि गांवों में आवासीय क्षेत्र के विकास के लिए भूमि चयन के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की गई थी और खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों से विवरण प्राप्त करने के बाद वार्षिकी भी संवितरित की जाएगी। इससे इंगित हुआ कि हाटज निर्माण के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना कार्य संस्वीकृत किए जा रहे थे और निधियां कार्यकारी अभियंता को जारी की गई।

2.14 हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड से पट्टा धन की अप्राप्ति/देरी से प्राप्ति के कारण ब्याज की हानि

सरकार ने हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को 220 के.वी. सब-स्टेशन की स्थापना के लिए पट्टाधारी आधार पर झज्जर जिले के बहादुरगढ़ खंड के गांव असंद में 88 कनाल (11 एकड़) की पंचायत भूमि का हस्तांतरण अनुमोदित किया (जुलाई 2008)। पट्टा धन पांच वर्षों के बाद 10 प्रतिशत की प्रगामी वृद्धि के साथ प्रति एकड़ प्रतिवर्ष की सामूहिक दर पर 10 प्रतिशत के हिसाब से 1 जून 2008 से अग्रिम में देय था।

अभिलेखों की नमूना-जांच ने दर्शाया कि हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड ने पट्टा धन का भुगतान ग्राम पंचायत को अग्रिम में नहीं बल्कि वर्ष की समाप्ति के बाद किया जिसके कारण

9 कार्यकारी अभियंता, पंचायती राज संस्थाओं, अंबाला और जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, भिवानी और मेवात।

₹ 4.34 लाख की राशि के ब्याज की हानि हुई। प्रधान सचिव ने तथ्यों को स्वीकारते हुए सूचित किया (सितंबर 2013) कि ग्राम पंचायत को पट्टा धन के देरी से भुगतान के कारण ब्याज अदा करने के लिए हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को अनुरोध किया गया था। उपायुक्त, झज्जर को भी पट्टा धन का समय से भुगतान सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जा चुका था।

2.15 ग्रामीण हाटों का निष्फल निर्माण

भारत सरकार ने ग्रामीण उत्पादों की विपणन सुविधाएं बढ़ाने के लिए स्वर्णज्यंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ग्रामीण हाटों को स्थापित करने के लिए एक स्कीम चालू की (फरवरी 2009)। इन हाटों के लिए भूमि पंचायतों द्वारा प्रदान की जानी थी। कार्यकारी अभियंता, पंचायती राज, अंबाला ने प्रत्येक हाट के लिए ₹ 15 लाख का अनुमान तैयार किया।

यह देखा गया था कि पांच जिलों में 13[10] ग्रामीण हाटों के निर्माण के लिए 2009-11 के दौरान ₹ 97.80 लाख की राशि की निधियां जारी की गई थी जिनके विरूद्ध मार्च 2013 तक ₹ 65.43 लाख का व्यय किया गया था जैसा कि **तालिका 7** में विवरण दिया गया है।

तालिका 7

(₹ लाख में)

क्र. सं.	जिले का नाम	प्रस्तावित हाट	अनुमानित लागत	जारी निधियां	निर्मित हाट	व्यय	टिप्पणी
1.	अंबाला	3	45.00	22.50	शून्य	3.35	कार्य प्रगति पर।
2.	फरीदाबाद	1	15.00	7.50	शून्य	7.50	आगे और निधियां जारी न होने के कारण अपूर्ण।
3.	झज्जर	3	45.00	22.50	2	30.00	अतिरिक्त व्यय कार्यकारी अभियंता, पंचायती राज द्वारा अन्य स्कीमों में से किया गया। जहाजगढ़ और दुज्जाना में दो हाट पूर्ण किए गए। साहलावास में एक हाट का कार्य निधियों की कमी के कारण शुरू नहीं किया गया।
4.	करनाल	3	45.00	22.80*	शून्य	0.00	निगधू और सौंकरा से स्थल के जलमाना और कचवां में परिवर्तित होने के कारण कार्य शुरू नहीं किया गया तथा संगोहा में कार्य शुरू कर दिया गया है।
5.	सोनीपत	3	45.00	22.50	शून्य	24.58	कार्य शुरू किया गया परंतु निधियों की कमी के कारण पूर्ण नहीं किया गया।
	कुल			**97.80**		**65.43**	

* ब्याज सहित

10 अंबाला: मग्गरपुरा, उगाला, अमीपुर, फरीदाबाद: मोहना: झज्जर: दुज्जाना, साहलावास, जहाजगढ़, करनाल: संघोहा, निगोही, सौंकरा, सोनीपत: बारी, बद मलिक, मंडोरा।

अभिलेखों की जांच तथा लेखापरीक्षा दल के स्थल के दौरे से प्रकट हुआ कि इन ग्रामीण हाटों को प्रयोग में नहीं लाया गया था। जहाजगढ़ में ग्रामीण हाट किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा जानवरों को रखने के लिए प्रयुक्त किया जा रहा था तथा दुज्जाना में यह किसी व्यापारी द्वारा अनाधिकृत रूप से अधिकार में लिया हुआ था। ग्राम पंचायत दुज्जाना के सरपंच ने सूचित किया कि ये गांव से दूर स्थित थे इसलिए इनका उपयुक्त उपयोग नहीं किया जा सका।

ऊपर के विवरण ने प्रकट किया कि ग्रामीण हाटों का निर्माण उपयुक्त रूप से योजनाकृत नहीं था क्योंकि कुछ मामलों में प्रस्तावित स्थल परिवर्तित किए गए थे और उनकी समय पर पूर्णता के लिए निधियां जारी नहीं की गई थी। अत: जिस प्रयोजन के लिए इनका निर्माण किया गया था वह प्राप्त नहीं किया जा सका।

2.16 पंचायत भूमि पर तालाबों के पट्टे में अनियमितताएं

सार्वजनिक भूमि में तालाब न केवल ग्रामीण मवेशियों को पीने का पानी प्रदान करते हैं अपितु मछली पालन और सिंगाड़ों इत्यादि के उत्पादन में भी प्रयुक्त होते हैं जो पंचायतों के लिए आमदनी का स्रोत हैं। अत: तालाबों का निर्माण और संजीवन ग्रामीण क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण विकास कार्य है। कार्यकारी अभियंता, पंचायती राज और पंचायतों ने इन कार्यों का निष्पादन माहत्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा) के अंतर्गत प्रदान निधियों से किया।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि:

- नियमों में प्रावधान है कि मछली पालन के लिए तालाबों की नीलामी पांच वर्षों तक की जाए। परंतु प्रावधानों के उल्लंघन में नीलामी पांच वर्ष से अधिक के लिए की गई। ग्राम पंचायतों ने सूचित किया कि तालाबों की नीलामी निदेशालयों के पत्रों के आधार पर सामयिक वृद्धि के साथ 10 वर्षों की अवधि के लिए की गई थी। नियमों में संशोधन किए बिना जारी निर्देश नियमानुसार नहीं थे।

- हिसार जिले के बरवाला खंड में ग्राम पंचायत, बालक ने नवंबर 2003 में दो ग्राम तालाबों की तीन वर्षों बाद 25 प्रतिशत वृद्धि के साथ ₹ 1.50 लाख प्रति वर्ष की दर पर नीलामी की। ₹ 8.25 लाख का पट्टा धन मार्च 2008 तक किश्तों में जमा करवा दिया गया था। उसके बाद ₹ 6.38 लाख का बकाया पट्टा धन जमा नहीं किया गया और जिला विकास

एवं पंचायत अधिकारी, हिसार ने फरवरी 2011 में पट्टा रद्द कर दिया परन्तु न तो किश्तों की देरी से प्राप्ति के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी और न ही शेष राशि वसूल की गई थी।

- कुर्क जागीर गांव (करनाल जिले के नीलोखेड़ी खंड) में गांव के सरपंच ने नियमों के उल्लंघन में, तालाबों की नीलामी बहुत कम कीमत पर एक करीबी रिश्तेदार को 7 वर्षों के लिए कर दी। परन्तु खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी ने सरपंच की अनियमित कार्रवाई के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जिससे पंचायत को हानि हुई। महानिदेशक ने सूचित किया (सितंबर 2013) की उपायुक्त, करनाल को सरपंच द्वारा की गई अनियमितता के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अनुरोध कर दिया गया था।

- 15 पंचायतों में यह अवलोकित किया गया कि ₹ 38.24 लाख की राशि का पट्टा धन पट्टाधारी द्वारा जमा नहीं करवाया/देरी से जमा करवाया गया था। ऐसे मामलों में पट्टा रद्द किया जाना अपेक्षित था तथा दुबारा नीलामी की जानी थी परंतु पट्टे को रद्द करने और तालाबों की दुबारा नीलामी करने की कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप भी पंचायत निधियों को ₹ 0.80 लाख की राशि के ब्याज की हानि हुई।

2.17 ग्राम पंचायतों द्वारा रिकार्ड न रखना

- ग्राम पंचायतों द्वारा नियम, 1964 में निर्धारित प्रपत्रों में रिकार्ड रखा जाना अपेक्षित था। सभी प्राप्त निधियां (बिक्री प्राप्तियां, पट्टा धन, किराया इत्यादि) दर्ज करने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत निधियों की कैश बुक अनुरक्षित की जानी अपेक्षित थी और उससे किए गए व्यय को कैश बुक में दर्ज करना अपेक्षित था।

- सात मामलों में रिकार्डों की नमूना-जांच के दौरान यह देखा गया कि पंचायतों ने उपयुक्त कैश बुक नहीं बना रखी थी। भूतपूर्व सरपंच या तो रिकार्ड और रोकड़ नए सरपंच को नहीं

सौंप रहे थे या उनकी अवधि से संबंधित रिकार्ड अपूर्ण थे। नमूना-जांच किए गए चार जिलों में चौदह[11] ग्राम पंचायतों ने सत्यापन के लिए रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किए।

- मामला महानिदेशक और संबंधित उपायुक्त के ध्यान में लाया गया था परंतु कोई कार्रवाई नहीं की गई थी (जून 2013)।

11 फरीदाबाद (बल्लभगढ़): चैंसा, फतेहपुर बिलौच, मुझेरी, सीकरी; हिसार (हिसार-II): चौधरियावास, कलवास; झज्जर (बहादुरगढ़): बादली, खरड़, खरमान, मंडोथी, नूनामाजरा; कैथल (कैथल): ककोट, सिसमौर।

शहरी स्थानीय निकाय

भाग – ख: शहरी स्थानीय निकाय

अध्याय – 3

शहरी स्थानीय निकायों का प्रोफाइल

3 प्रस्तावना

3.1 शहरी स्थानीय निकायों की पृष्ठभूमि

74वें संवैधानिक संशोधन ने शहरी स्थानीय निकायों को निधियों तथा पदाधिकारियों के साथ-साथ शक्तियों के विकेन्द्रीकरण तथा संविधान की बारहवीं अनुसूची में शामिल 18 कार्यों के हस्तांतरण का मार्गप्रशस्त किया है। हरियाणा सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों को शक्तियों तथा जिम्मेदारियों के हस्तांतरण के लिए हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 तथा हरियाणा नगर अधिनियम, 1973 अधिसूचित किए।

3.2 ऑडिट मेनडेट

निदेशक, स्थानीय लेखापरीक्षा, हरियाणा एक सांविधिक लेखापरीक्षक है तथा सभी नगर निगमों, नगर परिषदों तथा नगर समितियों की लेखापरीक्षा करता है।

ग्यारहवें वित्त आयोग ने सिफारिश की कि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखाओं का सही रख-रखाव तथा उनके सभी तीनों श्रेणियों/स्तरों की लेखापरीक्षा करने के लिए नियंत्रण तथा अधीक्षण की जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए। तेरहवें वित्त आयोग ने आगे सिफारिश की कि राज्य सरकार को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण रिपोर्टों को राज्य विधायिका को प्रस्तुत करने का प्रबंध अवश्य करना चाहिए। तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर, राज्य सरकार ने तकनीकी गाइडेंस तथा सपोर्ट प्रदान करने के विचार से नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के अंतर्गत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को शहरी स्थानीय निकायों की नमूना-लेखापरीक्षा सौंपी (अगस्त 2008)। राज्य सरकार ने आगे अधिसूचित किया (दिसंबर 2011) कि वार्षिक तकनीकी निरीक्षण रिपोर्ट, राज्य विधायिका को प्रस्तुत की जाएगी तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक या उनके प्रतिनिधि को अपने विवेक से लेखापरीक्षा के परिणाम को रिपोर्ट करने का अधिकार होगा।

3.3 शहरी स्थानीय निकायों का संगठनात्मक ढांचा

राज्य में 9 नगर निगम, 14 नगर परिषद तथा 53 नगर समितियां हैं। शहरी स्थानीय निकायों में प्रत्येक वार्ड से चुने हुए सदस्य होते हैं। नगर निगमों में मेयर तथा नगर परिषदों तथा नगर समितियों में अध्यक्ष विभिन्न वार्डो से चुने हुए सदस्यों के बहुमत से चुने जाते हैं। सभापति बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। शहरी स्थानीय निकायों का सारा नियंत्रण निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के माध्यम से हरियाणा सरकार के प्रधान सचिव (शहरी स्थानीय निकाय) के पास होता है। शहरी स्थानीय निकायों का संगठनात्मक ढांचा नीचे **चार्ट 1** में दिया गया है:

चार्ट 1: शहरी स्थानीय निकायों का संगठनात्मक ढांचा

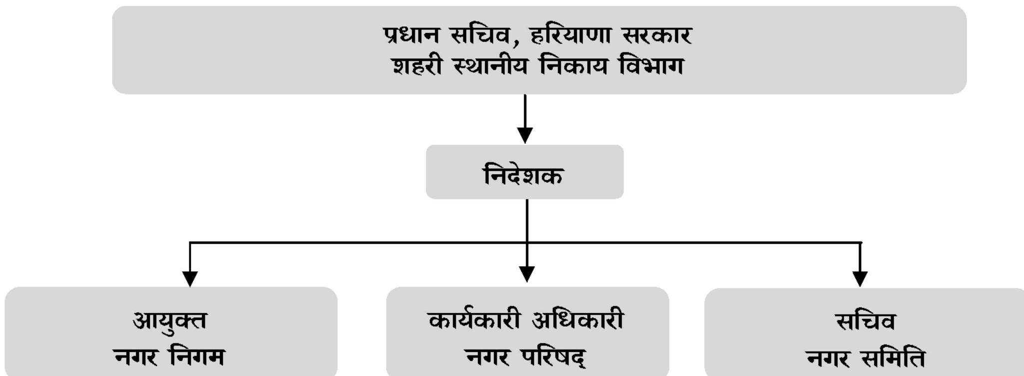

3.3.1 स्थाई समितियां

शहरी स्थानीय निकाय निर्धारित कार्यो के निष्पादन के लिए स्थायी समितियां गठित करेंगे। शहरी स्थानीय निकाय की स्थायी समिति के गठन का विवरण **तालिका 8** में विस्तृत है।

तालिका 8: स्थाई समितियों की भूमिकाएं तथा उत्तरदायित्व

शहरी स्थानीय निकाय के स्तर	स्थाई समिति के अध्यक्ष	स्थाई समितियों के नाम	स्थाई समिति की भूमिकाएं तथा उत्तरदायित्व
शहरी स्थानीय निकाय	चेयरमैन	वित्त उप-समिति	नगरपालिकाओं के वित्त से संबंधित कार्यों, बजट बनाने, राजस्व की वृद्धि की संभावनाओं की संवीक्षा, प्राप्तियों तथा व्यय विवरणियों के निरीक्षण इत्यादि की देखभाल करती है।
		लोक निर्माण कार्य तथा भवन उप-समिति	म्यूनिसिपल निर्माण से संबंधित कार्यों को देखना, शहरी स्थानीय निकाय के नियंत्रणाधीन म्यूनिसिपल संपत्तियों के रख-रखाव की देख-भाल करती है। यह अतिक्रमणों तथा प्रोजैक्शन जांच के सभी मामलों से संबंधित कार्य भी करती है।
		स्वच्छता तथा जलापूर्ति उप-समिति	स्वच्छता, स्वास्थ्य, सीवरेज तथा जलापूर्ति संबंधी मामलों की देख-रेख करती है।

3.3.2 कार्यों का हस्तांतरण

शहरों और कस्बों की उपयुक्त और योजनागत वृद्धि को पर्याप्त मूलभूत संरचना तथा मौलिक सुख-सुविधाओं सहित सुनिश्चित करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों की शक्तियों और कार्यों के विकेंद्रीयकरण के लिए संविधान का 74वां संशोधन किया गया था। नीचे दी गई **तालिका 9** में दिए गए विवरणानुसार हरियाणा सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों को 18 कार्य सौंपे हैं। सभी 18 कार्य शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरित कर दिए गए हैं।

तालिका 9: शहरी स्थानीय निकायों को सौंपे गए कार्यों के विवरण

क्र. सं.	शहरी स्थानीय निकायों को सौंपे गए तथा हस्तांतरित कार्य
1.	भूमि प्रयोग का नियमन तथा भवनों का निर्माण
2.	सड़कें तथा पुल
3.	जलापूर्ति-घरेलू, औद्योगिक तथा वाणिज्यिक
4.	जन-स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई व्यवस्था तथा सीवरेज जल अनुरक्षण
5.	अग्नि सेवाएं
6.	स्लम सुधार तथा उन्नयन
7.	शहरी आवश्यकताओं तथा सुविधाओं-पार्कों, बगिचों तथा खेल के मैदानों का प्रावधान
8.	दफनाना तथा कब्रिस्तान, दाह-संस्कार, शमशानघाट तथा विद्युत शवदाहगृह
9.	पशु तालाब, पशुओं से निर्दयता की रोकथाम
10.	जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण सहित महत्वपूर्ण आंकड़े
11.	स्ट्रीट लाईटिंग, पार्किंग लोट्स, बस स्टापस तथा जन सुविधाओं सहित सार्वजनिक सुख-सुविधाएं
12.	बूचड़खाना और चर्मशोधनशाला का नियमन
13.	कस्बों के नियोजन सहित शहरी आयोजना
14.	आर्थिक तथा सामाजिक विकास के लिए आयोजना
15.	शहरी वानिकी, वातावरण संरक्षण तथा पारिस्थितिकी
16.	विकलांग तथा मानसिक रूप से विक्षिप्त सहित समाज के कमजोर वर्गों के हितों की सुरक्षा
17.	शहरी गरीबी उन्मूलन
18.	सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा सौंदर्य विषयक पहलुओं को प्रोत्साहन

3.4 वित्तीय प्रोफाइल

3.4.1 शहरी स्थानीय निकायों का निधि प्रवाह

विभिन्न विकास कार्यो के कार्यान्वयन के लिए शहरी स्थानीय निकाय मुख्यत: भारत सरकार तथा राज्य सरकार से अनुदानों के रूप में निधियां प्राप्त करते हैं। भारत सरकार की अनुदानों में केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत निर्धारित किए गए अनुदान तथा स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए अनुदान शामिल है। राज्य सरकार के अनुदान राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अधीन कुल कर राजस्व के निवल लाभ की सुपुर्दगी तथा राज्य प्रायोजित स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु अनुदानों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त शहरी स्थानीय निकायों द्वारा करों, किराया, फीस, लाईसैंस जारी करने आदि के रूप में भी राजस्व एकत्रित किया जाता है।

इस संबंध में, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा जारी मार्ग निदेशों के अनुसार केंद्रीय तथा राज्य उपयोग स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय तथा राज्य अनुदान शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उपयोग किए जाते हैं। शहरी स्थानीय निकायों की अपनी प्राप्तियां प्रशासनिक खर्चो तथा शहरी स्थानीय निकायों द्वारा निर्मित स्कीमों/कार्यो के कार्यान्वयन के लिए उपयोग की जाती है। मुख्य स्कीमों में निधि प्रवाह प्रबंधन **तालिका** 10 में दिए गए हैं:

तालिका 10: मुख्य केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों में निधि प्रवाह प्रबंधन

क्र.सं.	स्कीम	निधि प्रवाह प्रबंधन
1	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत निधिकरण की केंद्र तथा राज्यों के बीच 75:25 के अनुपात में हिस्सेदारी की जाती हैं। केंद्रीय हिस्सा डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जारी किया जाता है तथा राज्य हिस्सा राज्य बजट द्वारा विनियोजित किया जाता है।
2	छोटे तथा मध्यम कस्बों के लिए शहरी मूलभूत संरचना विकास स्कीम	सहायता अनुदान केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा 80:10 के अनुपात में बांटा जाना है तथा शेष 10 प्रतिशत शहरी स्थानीय निकायों ने अपने स्रोतों से जुटाना होता है।
3	एकीकृत हाउसिंग तथा स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम	स्कीम की लागत का 80 प्रतिशत सहायता अनुदान के रूप में केंद्र देता है। शेष 20 प्रतिशत राज्य सरकार, शहरी स्थानीय निकायों तथा पैरास्टाटल एजैंसियों द्वारा शेयर किया जाता है। शहरी स्थानीय निकायों अपना अंशदान स्वयं के स्रोतों से या लाभग्राही अंशदान से उगाहती है।
4	शहरी मूलभूत संरचना तथा शासन	शहरी मूलभूत संरचना तथा शासन के अंतर्गत निधिकरण केंद्र, राज्य तथा शहरी स्थानीय निकायों के मध्य 80:10:10 के अनुपात में शेयर किया जाता है। शहरी स्थानीय निकायों अपना अंशदान वित्तीय संस्थानों से उगाहती है। बी.एस.यू.पी. के लिए: 80 प्रतिशत केंद्रीय अनुदान, 20 प्रतिशत राज्य/शहरी स्थानीय निकाय/पैरा स्टेटल शेयर लाभग्राही अंशदान सहित।

3.4.2 संसाधनः प्रवृत्तियां तथा संयोजन

2008–13 की अवधि के लिए शहरी स्थानीय निकायों के संसाधनों की प्रवृति **तालिका 11** में दी गई है।

तालिका 11: शहरी स्थानीय निकायों के संसाधनों पर टाइम सीरीज डाटा

(₹ करोड़ में)

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
केंद्रीय वित्त आयोग	7.47	22.92	26.74	38.13	60.81
राज्य वित्त आयोग	44.51	217.48	40.69	54.42	147.15
ऋण	1.80	1.05	77.37	42.97	41.59
अपने स्रोत (कर तथा कर–भिन्न)	343.88	573.62	764.96	675.56	471.00
अन्य अनुदान	156.49	0	173.53	380.62	1184.59
कुल योग	**554.15**	**815.07**	**1083.29**	**1191.70**	**1905.14**

स्रोतः निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा द्वारा प्रदान किए गए आंकड़े।

3.4.3 निधियों का उपयोगः प्रवृत्तियां तथा संयोजन

2008–2009 से 2012–13 तक की अवधि के लिए शहरी स्थानीय निकायों की निधियों का उपयोग **तालिका 12** में दिया गया है:

तालिका 12: शहरी स्थानीय निकायों की निधियों का उपयोग

(₹ करोड़ में)

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
केंद्रीय वित्त आयोग	15.76	22.92	27.11	22.30	48.52
राज्य वित्त आयोग	29.82	202.81	12.93	34.37	113.45
ऋण	5.51	1.05	85.11	11.75	25.30
अपने स्रोत (कर तथा कर–भिन्न)	285.45	290.91	369.41	1018.51	327.12
अन्य अनुदान	56.52	--	30.58	279.38	907.26
कुल योग	**393.06**	**517.69**	**525.14**	**1366.31**	**1421.55**

स्रोतः निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा द्वारा प्रदान किए गए आंकड़े।

3.5 लेखांकन व्यवस्था

नगर निगमों के लेखाओं के रख–रखाव के लिए वरिष्ठ लेखा अधिकारी उत्तरदायी हैं जबकि नगर परिषदों के मामले में कार्यकारी अधिकारी तथा नगर समितियों के मामले में सचिव, लेखाकारों की सहायता से लेखा का रख–रखाव करते हैं।

नगर समितियों, नगर परिषदों तथा नगर निगमों के लेखाओं का रख-रखाव नगर लेखा संहिता, 1930 द्वारा शासित है। नेशनल म्यूनिसिपल अकाऊंटस मैनुअल द्वारा सुझाए गए अकाऊंटिंग फारमेट तथा कोडिफिकेशन पैट्रन के समनुरूप हरियाणा म्यूनिसिपल अकाउंट कोड, 2012 का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन मार्च 2012 में जारी किया गया था। निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय ने बताया (मार्च 2013) कि प्रोपर्टी टैक्स की उगाही के लिए घोषणा सरकार के विचाराधीन थी तथा नया म्यूनिसिपल अकाउंट कोड संशोधन के बाद लागू करने के लिए सभी शहरी स्थानीय निकायों को भेज दिया जाएगा। यह अवलोकित किया गया था कि हरियाणा सरकार द्वारा अक्तूबर 2013 में जारी नोटिफिकेशन द्वारा प्रोपर्टी टैक्स लगा दिया गया है लेकिन हरियाणा म्यूनिसिपल अकाउंट कोड, 2012 का नोटिफिकेशन अभी तक (मार्च 2014) फाइनल नहीं किया गया था।

3.5.1 ऑडिट कवरेज

वर्ष 2011-13 के दौरान 55 शहरी स्थानीय निकायों (आठ[12] नगर निगम, 12[13] नगर परिषद तथा 35[14] नगर समितियां) के रिकार्डो की नमूना-जांच की गई थी। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम **अध्याय 4** में दिए गए हैं।

3.6 शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय रिपोर्टिंग तथा अकाउटिंग फ्रेमवर्क (आंतरिक नियंत्रण प्रणाली)

राज्य सरकार द्वारा शहरी स्थानीय निकायों के कुशल तथा प्रभावी शासन के लिए एक ठोस आंतरिक नियंत्रण प्रणाली महत्वपूर्ण योगदान देती है। वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा निर्देशों के साथ-साथ ऐसी अनुपालना के स्टेटस पर रिपोर्टिंग की समयबद्धता तथा गुणवत्ता, सुशासन की एक विशेषता है। अनुपालना तथा नियंत्रण पर रिपोर्ट, यदि प्रभावी तथा ऑपरेशनल हो तो यह शहरी स्थानीय निकायों

---

[12] (1) गुड़गांव, (2) रोहतक, (3) अंबाला, (4) फरीदाबाद, (5) करनाल, (6) यमुनानगर, (7) पंचकुला तथा (8) पानीपत।

[13] (1) फतेहाबाद, (2) कुरूक्षेत्र, (3) नारनौल, (4) पलवल, (5) रेवाड़ी, (6) सिरसा, (7) टोहाना, (8) सोनीपत, (9) बहादुरगढ़, (10) जींद, (11) नरवाना तथा (12) भिवानी।

[14] (1) शाहबाद, (2) महम, (3) पिंजौर, (4) कलानौर, (5) सांपला, (6) लाडवा, (7) पेहोवा, (8) महेन्द्रगढ, (9) कनीना, (10) अटेली, (11) होडल, (12) हथीन, (13) बावल, (14) धारूहेड़ा, (15) रतिया, (16) रानियां, (17) कलांवाली, (18) ऐलनाबाद, (19) नारायणगढ़, (20) गोहाना, (21) गन्नौर, (22) खरखौदा, (23) सफीदों, (24) उचाना, (25) जुलाना, (26) समालखा, (27) फिरोजपुर झिरका, (28) नूंह, (29) तावडू, (30) पुन्नहाना, (31) चरखी दादरी, (32) सिवानी, (33) बवानीखेड़ा, (34) रतिया तथा(35) लोहारू।

तथा राज्य सरकार को इसकी बेसिक प्रबंधन जिम्मेदारियों सहित स्ट्रेटैजिक प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग तथा स्टाकहोल्डरज की अकाउंटेबिलिटी में सहायता देती है। निम्नलिखित अवलोकित किया गया था:

3.6.1 वार्षिक लेखाओं का तैयार न होना

म्यूनिसिपल अकाऊंट कोड 1930, के पैरा-III-7 में निहित प्रावधानों के अनुसार, म्यूनिसिपैलिटी के संबंध में प्रत्येक साल के लिए एक वित्तीय विवरण फार्म जी-5 में तैयार किया जाना है। लेकिन लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया था कि बैलेंसशीट के रूप में वार्षिक लेखे म्यूनिसिपैलिटीज द्वारा इनके आरंभ से ही तैयार नहीं किए गए थे। बैलेंसशीट के तैयार न होने के कारण शहरी स्थानीय निकायों के कार्यों की सही एवं स्पष्ट स्थिति सुनिश्चित नहीं की जा सकती थी। राज्य अधिनियम/नियमों में कोई विशिष्ट प्रावधान न होने से एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा लेखाओं का प्रमाणीकरण शहरी स्थानीय निकायों में विद्यमान नहीं है।

3.6.2 बकाया निरीक्षण रिपोर्टे/पैरा

नगर निगम, नगर परिषद तथा नगर समिति के क्रमश: आयुक्त/कार्यकारी अधिकारी/सचिव को प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा द्वारा जारी निरीक्षण रिपोर्टों में निहित अवलोकनों की अनुपालना करना तथा कमियों/त्रुटियों को ठीक करना तथा अवलोकनों को समायोजित करने के लिए उनकी अनुपालना की रिपोर्ट भेजना अपेक्षित है। 31 मार्च 2013 तक जारी, समायोजित तथा बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा पैराओं का विवरण **तालिका** 13 में दिया गया है।

तालिका 13 : लंबित निरीक्षण रिपोर्टों/पैराओं की स्थिति

निरीक्षण रिपोर्टों को जारी करने का वर्ष	बकाया निरीक्षण रिपोर्टों/पैराओं का आरंभिक शेष		जमा		कुल		समायोजित निरीक्षण रिपोर्टों/पैराओं की संख्या		31 मार्च 2013 को बकाया निरीक्षण रिपोर्टों/पैराओं की संख्या	
	नि.रि.	पैरे	नि.रि.	पैरे	नि.रि.	पैरे	नि.रि.	पैरे	नि.रि.	पैरे
2009-10	-	-	27	257	27	257	-	3	27	254
2010-11	27	254	27	259	54	513	-	8	54	505
2011-12	54	505	21	260	75	765	-	0	75	765
2012-13	75	765	36	264	111	1029	-	-	111	1029
कुल			**111**	**1040**				**11**		

अध्याय – 4

शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के परिणाम

4.1 राजस्व की हानि

4.1.1 ₹ 42.11 लाख के किराए की अवसूली

कोई भी राशि जो नगरपालिका को देय है तथा बकाया रहती है, कार्यकारी अधिकारी/सचिव संबंधित व्यक्ति को डिमांड नोटिस भेज सकता है। वसूली के लिए देय कोई राशि, संग्रहण के अन्य तरीके के पूर्वाग्रह बिना म्यूनिसीपल अधिनियम, 1973 की धारा 98 के प्रावधान के अनुसार भूमि राजस्व के एरियर के तौर पर वसूल की जाएगी।

लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि नगर परिषद्, जींद तथा नगर निगम, करनाल तथा यमुनानगर में जुलाई 2013 तक अप्रैल 2010 से मार्च 2012 तक की अवधि से संबंधित दुकानदारों से किराए के रूप में लंबित थी। नगरपालिकाओं ने बताया (जुलाई 2013) कि ₹ 42.11[15] लाख की राशि दुकानदारों को नोटिस जारी करके शेष राशि को वसूलने के प्रयत्न किए जा रहे थे।

4.1.2 फायर चार्जिज की अवसूली – ₹ 4.64 लाख

म्यूनिसीपल अधिनियम 1973, के प्रावधानों के अनुसार, म्यूनिसीपल एरिया के अधिकार क्षेत्र के बाहर आग बुझाने के मामले में जिन व्यक्तियों, संस्थाओं, गांवो को फायर सर्विस दी गई थी उनसे चार्जिज वसूल किए जाने थे। यदि उन व्यक्तियों, जिन्हें ये सेवा दी गई थी, ने राशि का भुगतान नहीं किया था, तो म्यूनिसीपल अधिनियम 1973 की धारा 98 के अंतर्गत भू-राजस्व के एरियर के रूप में राशि वसूल करने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए।

एम.सी., नरवाना तथा नगर निगम, यमुनानगर के अभिलेखों की जांच ने प्रकट किया कि मार्च 2012 तक ग्राम पंचायतों तथा संस्थानों के विरूद्ध फायर चार्जिज के कारण ₹ 4.64[16] लाख की राशि बकाया पड़ी थी। एम.सी., नरवाना ने बताया (जुलाई 2013) कि बकाया चार्जिज वसूलने के

---

15 नगर परिषद्, जींद (₹ 30.85 लाख) तथा नगर निगम, करनाल (₹ 1.42 लाख) तथा यमुनानगर (₹ 9.84 लाख)

16 एम.सी., नरवाना (मार्च 2011 से दिसंबर 2012 तक की अवधि के लिए ₹ 0.81 लाख) तथा नगर निगम, यमुनानगर (अप्रैल 2010 से मार्च 2012 तक की अवधि के लिए ₹ 3.83 लाख)

प्रयत्न किए जा रहे थे जबकि नगर निगम, यमुनानगर ने बताया (जुलाई 2013) कि ₹ 0.55 लाख वसूल कर लिए गए थे तथा शेष राशि के वसूलने के प्रयत्न किए जा रहे थे।

4.2 सर्विस टैक्स की अवसूली

4.2.1 सर्विस टैक्स की अवसूली

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 22 मई 2007 की अधिसूचना संख्या 24/2007 के अनुसार समय-समय पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर पर जून 2007 से प्रभावी कमर्शियल अचल संपत्ति पर किराया वसूल किया जाना था तथा भारत सरकार के संबद्ध राजस्व शीर्ष में जमा करना था।

2008-09 से 2011-12 तक की अवधि के लिए छ:[17] नगरपालिकाओं के अभिलेखों की जांच ने प्रकट किया कि निर्धारित दरों पर ₹ 1.46 करोड़ (**परिशिष्ट 7**) की राशि का सर्विस टैक्स दुकानों से किराए के रूप में प्राप्त राशि पर वसूल नहीं किया गया था।

उत्तर में, तीन[18] नगरपालिकाओं ने बताया (जुलाई 2013) कि सर्विस टैक्स की राशि वसूलने के लिए प्रयत्न किए जा रहे थे। तथ्यों को स्वीकार करते हुए नगर परिषद्, सोनीपत ने बताया (जुलाई 2013) कि ₹ 4.50 लाख वसूल कर लिए गए थे तथा शेष राशि को वसूल करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे थे।

4.2.2 विज्ञापन आय पर सर्विस टैक्स की उगाही न होना

वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65(3) तथा 65(105)(ई) विज्ञापन सेवा के लिए कर योग्य सेवा को परिभाषित करती है। इसके अंतर्गत विज्ञापन बनाने, तैयार करने, डिस्पले या प्रदर्शनी से जुड़ी कोई सेवा प्रदान करने में कार्यरत कोई व्यक्ति तथा किसी भी तरीके से एक विज्ञापन एंजेसी द्वारा ग्राहक को विज्ञापन कसंलटेंट तथा सर्विस प्रोवाइडर शामिल करता है, तो सर्विस टैक्स ग्राहक को प्रभारित किया जाएगा। बिजनेस या व्यापार के मामले में या इसको बढ़ाने में उपयोग के लिए अचल संपत्ति के किराए को भी सर्विस टैक्स के अंतर्गत शामिल किया जाता है।

---

[17] एम.सीज, मोहिंद्रगढ़, कनीना तथा नगर परिषद्, नारनौल, नरवाना, सोनीपत तथा नगर निगम, अंबाला।

[18] नगर निगम, अंबाला, नगर परिषद्, नारनौल तथा एम.सी., मोहिंद्रगढ़।

2009–10 से 2011–12 की अवधि के दौरान नगर परिषद् जींद तथा सोनीपत तथा नगर निगम, अंबाला के अभिलेखों की जांच ने प्रकट किया कि नगर पालिकाओं द्वारा किराए पर दी गई विज्ञापन साइटस के कारण वसूल की गई राशि पर निर्धारित दर पर ₹ 21.96 लाख का सर्विस टैक्स नहीं वसूला गया था। अत: सेवाप्राप्तकर्ताओं से सर्विस टैक्स के असंग्रहण के परिणामस्वरूप सरकार को ₹ 21.96 लाख की हानि हुई।

नगर परिषद्, जींद ने बताया (जुलाई 2013) की सेवाप्राप्तकर्त्ता ने बार–बार रिमाईंडर जारी किए जाने पर भी सर्विस टैक्स जमा नहीं करवाया था। नगर परिषद्, अंबाला ने उत्तर दिया (जुलाई 2013) कि सर्विस टैक्स कॉन्ट्रेक्टर द्वारा जमा करवा दिया जाएगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि सर्विस टैक्स, सर्विस रिसीवर से वसूल करने के बाद सर्विस प्रोवाइडर (नगर परिषद्, अंबाला) द्वारा जमा करवाया जाना था।

4.3 श्रम उपकर की कटौती न होना

श्रम मंत्रालय, भारत सरकार ने सितंबर 1996 में जारी अधिसूचना द्वारा निर्धारित किया कि बिल्डिंग तथा अन्य निर्माण श्रमिकों की भलाई के लिए निर्माण की कुल लागत के एक प्रतिशत की दर पर उपकर नियोक्ता से उद्गृहीत किया जाएगा। राज्य सरकार ने उपकर अधिनियम की अपेक्षा के अनुरूप एक प्रतिशत की दर पर उपकर लगाए जाने के नियम बनाए (फरवरी 2007)। आगे श्रम विभाग में राज्य सरकार ने स्थानीय प्राधिकारियों को आदेश दिया (दिसंबर 2009) कि यदि मकान की अनुमानित लागत ₹ 10 लाख से ज्यादा होती है तो उन द्वारा व्यक्तिगत आवासीय मकानों के निर्माण को अनुमोदन देने से पहले निर्माण की अनुमानित लागत के एक प्रतिशत की दर पर उपकर पहले से ही संगृहित करना अपेक्षित था।

अभिलेखों की जांच ने प्रकट किया कि सात यू.एल.बीज ने ठेकेदारों (**परिशिष्ट 8**) के बिलों से ₹ 41.93 लाख राशि के उपकर नहीं काटे थे। आगे 13 शहरी स्थानीय निकायों ने निर्माण (**परिशिष्ट 9**) के अनुमोदन प्रदान करने से पहले 830 आवासीय मकानों के निर्माण की अनुमानित लागत पर ₹ 1.58 करोड़ राशि का एक प्रतिशत उपकर इकट्ठा नहीं किया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर संबंधित शहरी स्थानीय निकायों (सिवाय नगर परिषद कुरूक्षेत्र, नारनौल तथा नगर निगम, करनाल) ने तथ्यों को स्वीकारते हुए बताया (जुलाई 2013) कि उन्हें

उपकर की कटौती/संग्रहण के बारे में जानकारी नहीं थी तथा उन्होंने अब उपकर की कटौती/संग्रहण शुरू कर दिया था। शहरी स्थानीय निकायों का उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि सरकार के आदेश सभी को प्रचालित किए गए थे। ठेकेदारों तथा जमीन मालिकों, जिन्होंने शहरी स्थानीय निकायों के अनुमोदन से घरों का निर्माण किया था, से उपकर वसूलने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

4.4 सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत निधियों का उपयोग न होना

राज्य सरकार ने केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिश पर 'सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट' पर सहायता अनुदान जारी किया। अनुदान के नियमों एवं शर्तों के अनुसार राशि एक अलग बैंक अकाऊंट में रखी जानी थी तथा अनुदानों की प्राप्ति/खजाने से राशि की निकासी के एक साल के भीतर ही व्यय करनी आवश्यक थी। उपयोग अवधि के खत्म हो जाने के बाद अव्यतित राशि खजाने में जमा करानी थी। नगरपालिकाओं के अभिलेखों की जांच ने प्रकट किया कि जनवरी 2006 तथा मार्च 2011 के बीच सरकार द्वारा ₹ 5.66 करोड़ के अनुदान जारी किए गए थे जिनमें से ₹ 5.61 करोड़ की अव्यतित राशि 11[19] नगरपालिकाओं के पास पड़ी थी। अव्ययित राशि ब्याज सहित निर्धारित उद्देश्य के लिए न तो प्रयोग की गई थी और न ही सरकार को रिफंड की गई थी।

एम.सीज, धारूहेड़ा तथा बावल ने बताया (जुलाई 2013) कि ज्वाइंट सोलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना प्रक्रियाधीन थी जबकि एम.सीज, रतिया तथा शाहाबाद ने बताया (अक्तूबर 2012) कि राशि उपयुक्त साइट की अनुपलब्धता के कारण व्यय नहीं की जा सकी। एम.सी., कलावली ने सूचित किया कि निष्पादन कार्यो के निष्पादन के लिए एक जूनियर इंजीनियर की अनुपलब्धता के कारण राशि उपयोग नहीं की जा सकी थी। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि राशि अनुदानों के जारी होने के एक वर्ष के भीतर ही खर्च की जानी थी। एम.सी., सोनीपत ने बताया (जुलाई 2013) कि गांव संदल कलां में सोलिड वेस्ट प्लांट की स्थापना के लिए एन.बी.सी.सी., फरीदाबाद के पास ₹ दो करोड़ की राशि जमा करा दी गई थी।

---

[19] नगर समिति, धारूहेड़ा, बावल, कलानौर, रतियां, टोहाना, हाथीन, शाहाबाद, कलांवली, नरवाना, तथा नगर परिषद्, मोहिंद्रगढ़, सोनीपत।

4.5 शहरी स्थानीय निकायों के पास पड़े अव्ययित अनुदान

वर्ष 2011-13 के दौरान 7 एम.सीज के पास पड़े रिकार्डों की नमूना-जांच ने प्रकट किया कि विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए ₹ 4.21 करोड़ के अनुदान प्राप्त हुए थे। इसमें से ₹ 3.88 करोड़ की राशि पिछले दो सालों से इन एम.सीज के पास अव्ययित पड़ी थी। मार्च 2012 तक अव्ययित अनुदानों की स्थिति **तालिका 14** में दी गई है।

तालिका 14: अव्ययित अनुदानों के विवरण

क्र. सं.	अनुदान का नाम	शहरी स्थानीय निकाय	जारी अनुदान (₹ करोड़ में)	अव्ययित अनुदान (₹ करोड़ में)	वर्ष जिससे अप्रयुक्त
1	स्थानीय क्षेत्र विकास कर	एम.सी., कलांवली	0.25	0.25	2010-11
2	विवेकाधीन अनुदान	नगर निगम, गुड़गांव	0.70	0.37	2010-11
3	केंद्रीय वित्त आयोग	एम.सी., रानीयां	0.03	0.03	2009-10
		एम.सी., कनीना	0.21	0.21	2008-09
			0.03	0.03	2009-10
4.	राज्य वित्त आयोग	एम.सी., कनीना	0.10	0.10	2009-10
5.	50 प्रतिशत अनुसूचित जाति जनसंख्या से अन्य अनुसूचित जाति बस्तियां	नगर निगम, गुड़गांव	0.72	0.72	2010-11
		एम.सी., ऐलनाबाद	0.12	0.12	2010-11
		नगर निगम, अंबाला	1.13	1.13	2010-11
6.	50 प्रतिशत अनुसूचित जाति जनसंख्या से अन्य वार्डों के विकास	एम.सी., कनीना	0.15	0.15	2008-09
			0.39	0.39	2009-10
		नगर परिषद्, नारनौल	0.19	0.19	2009-10
			0.19	0.19	2010-11
		कुल	**4.21**	**3.88**	

अनुदानों के अनुपयोग के परिणामस्वरूप नगरपालिका क्षेत्र में विकास कार्यों का कार्यान्वयन नहीं हुआ।

एम.सी., रानिया ने तथ्यों को स्वीकारते हुए बताया (अक्तूबर 2012) कि केन्द्रीय वित्त आयोग से अनुदानों की राशि को व्यय करने का एक्सटेंशन निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय से मांगा गया था। एम.सी., ऐलनाबाद ने 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति जनसंख्या के अलावा अनुसूचित जाति बस्तियों के अंतर्गत कार्य के अनिष्पादन का कारण कम्यूनिटी टायलेट के लिए सामग्री की अनुपलब्धता बताया।

एम.सी., अंबाला ने बताया (अगस्त 2012) कि ₹ 1.13 करोड़ की राशि कम्यूनिटी सेंटर तथा टायलेट के निर्माण के लिए प्राप्त हुई थी जो कि पहले से ही इंडिविजुअल हाउसहोल्ड सैनीटेशन डेवलेपमेंट

प्रोग्राम स्कीम के अंतर्गत निर्मित किए जा चुके थे। अब सरकार को अनुसूचित जाति की बस्तियों में अन्य विकास कार्यों के लिए राशि व्यय करने की मंजूरी देने की प्रार्थना की गई थी। इस प्रकार आवश्यकता का सही मूल्यांकन किए बिना ही फंड जारी किए गए थे।

4.6 निधियों का विपथन

निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय ने 50 प्रतिशत से ज्यादा अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले म्यूनिसीपल वार्डों के विकास के लिए स्कीम के अंतर्गत ₹ 60 लाख के अनुदान सचिव, एम.सी., कलांवाली को जारी किए (मार्च 2010)। इस अनुदान में से ₹ 4.43 लाख बिजली बिलों (₹ 4 लाख) तथा कुर्सियों की खरीद (₹ 0.43 लाख) के भुगतान के लिए विपथित किए गए थे। परिणामस्वरूप, 50 प्रतिशत से ज्यादा अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले वार्डों का विकास कार्य बाधित हुआ।

सचिव, एम.सी. कलांवली ने बताया (अक्तूबर 2012) कि म्यूनिसीपल निधियों की अनुपलब्धता के कारण भुगतान, अनुदान में बताए गए के अलावा अन्य उद्देश्यों हेतु किए गए थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि इससे निधियों का विपथन हुआ।

4.7 बेकार मशीनरी

निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय ने वाहनों तथा उपकरणों की खरीद के लिए शहरी सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट स्कीम (सितंबर 2006) के अंतर्गत नगर परिषद्, पंचकूला को ₹ 4.50 लाख जारी किए। ₹ 25.06 लाख के अन्य अनुदान केंद्रीय वित्त आयोग की सिफरिश पर उसी उद्देश्य के लिए यानि वाहनों तथा उपकरणों के लिए जारी (फरवरी 2007) की थी। नगर समिति ने इन निधियों में से ₹ 19.14 लाख की कीमत पर चैसीज़ माऊंडिड रिफ्यूज कॉम्पैक्टर खरीदे (नवंबर 2010)। एम.सी. के अभिलेखों की नमूना-जांच ने प्रकट किया कि काम्पैक्टर कभी भी प्रयुक्त नहीं किए जा सके क्योंकि यह डस्टबिनों के बिना थे। एम.सी., पंचकूला ने उत्तर में बताया (नवंबर 2012) कि डस्टबिनों की खरीद प्रक्रिया अधीन थी तथा डस्टबिनों की खरीद के बाद, रिफ्यूज़ कॉम्पैक्टर को प्रयोग में लाया जाएगा। लेकिन तथ्य यह रहता है कि मशीनें नवंबर 2010 में इनकी खरीद से ही बेकार पड़ी थी।

4.8 मस्टर रोलों का अनुपयुक्त रख–रखाव

- प्रक्रिया के अनुसार, सही व्यक्ति को भुगतान सुनिश्चित करने के लिए यह अपेक्षित है कि प्रत्येक दिहाड़ी मजदूर को सक्षम प्राधिकारी की उपस्थिति में भुगतान की प्राप्ति के टोकन में मस्टर रोल पर उसके हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान को चिन्हित करना चाहिए। नगर परिषदों/समितियों के अभिलेखों की जांच ने प्रकट किया कि मस्टर रोलों पर मजदूरों के हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान लिए बिना विकास कार्यों के निष्पादन के लिए चार[20] नगरपालिकाओं द्वारा ₹ 18.72 लाख (**परिशिष्ट 10**) का भुगतान किया गया था। भुगतान संबंधित एम.सीज के सचिव तथा अध्यक्ष द्वारा पारित किया गया था तथा कैश बुक में भुगतान किया गया दिखाया गया था। मजदूरों को उनके हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान के बिना भुगतान की एंट्री अनियमित थी। नगर परिषद्, नारनौल तथा एम.सी., ऐलनाबाद ने बताया (फरवरी–अगस्त 2012) कि कार्य की अधिकता के कारण मजदूरों के हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान प्राप्त नहीं किए जा सके तथा अनुपालना की जाएगी तथा ऑडिट को दिखाई जाएगी। आगे की कार्रवाई प्रतीक्षित थी (दिसंबर 2012)।

- एम.सी., कलानौर के अभिलेखों की नमूना–जांच ने प्रकट किया कि एक समान तारीख (10 मई 2010 से 13 मई 2010) में दो अलग मस्टर रोलों पर चार मिस्त्री तथा आठ मजदूर नियुक्त किए गए थे जिसके परिणामस्वरूप इन व्यक्तियों को (वाउचर नं. 212 दिनांक 26 अगस्त 2011 तथा वाउचर नं. 213 दिनांक 26 अगस्त 2011) ₹ 7,774 का दोहरा भुगतान हुआ। एम.सी. के सचिव ने समुचित निरीक्षण किए बिना ही भुगतान पारित कर दिया।

एम.सी., कलानौर ने तथ्यों को स्वीकारते हुए बताया (अक्तूबर 2012) कि राशि की वसूली दोषी अधिकारियों से कर ली जाएगी।

---

[20] नगर परिषद्, नारनौल तथा एम.सीज ऐलनाबाद, मोहिंद्रगढ़ तथा कलांवली।

4.9 भूमि का अतिक्रमण

एम.सीज के स्वामित्व के अंतर्गत भूमि सभी अतिक्रमणों से मुक्त होनी चाहिए। किसी व्यक्ति/संस्था द्वारा कोई अतिक्रमण या अप्राधिकृत कब्जे के मामले में कमेटी को हरियाणा म्यूनिसीपल अधिनियम 1973 की धारा 181 तथा हरियाणा म्यूनिसीपल कार्पोरेशन अधिनियम, 1994 की धारा 408-ए के अंतर्गत उसे अतिक्रमण से छुड़ाने के लिए यथासमय कार्रवाई करनी चाहिए। दो शहरी स्थानीय निकायों के अभिलेखों की जांच ने प्रकट किया कि मार्च 2012 तक ₹ 106.82 करोड़ की लागत की 97.15 एकड़ भूमि अतिक्रमण के अधीन थी जैसा कि **तालिका** 15 में विवरण दिया गया है:

तालिका 15: अतिक्रमण अधीन भूमि

क्र. सं.	शहरी स्थानीय निकायों का नाम	अतिक्रमण अधीन भूमि (एकड़ में)	भूमि की कीमत (₹ करोड़ में)
1.	नगर निगम, गुड़गांव	77.65	101.16
2.	नगर परिषद्, रानियां	19.50	5.66
	कुल	**97.15**	**106.82**

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर एम.सी., गुड़गांव ने बताया (अक्तूबर 2012) कि अतिक्रमणकारियों से भूमि को छुड़ाने के संबंध में अतिक्रमणकारियों के विरूद्ध उचित कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। एम.सी., रानियां ने बताया (नवंबर 2013) कि एम.सी. के बनने से पहले ही भूमि अतिक्रमण के अंतर्गत थी। तथापि, तथ्य यह रहता है कि नगरपालिकाएं भूमि को अतिक्रमण से बचाने में विफल रही।

4.10 अस्थायी अग्रिमों का असमायोजन

म्यूनिसीपल अकाऊंट कोड, 1930 के नियम XVII 14(5)(ii) के अनुसार किसी भी तरह के अग्रिम नियमित रूप से तथा तत्परत: समायोजित किए जाने चाहिए। यह सुनिश्चित करना नगर समिति/परिषद्/निगम के अध्यक्ष का कर्त्तव्य था जितना जल्दी संभव हो लेखे सौंप दिए थे तथा अवसरों या खरीद के पूर्ण होने के बाद अव्ययित शेष तुरंत रिफंड कर लिए गए थे।

तीन नगरपालिकाओं के रिकार्ड की जांच ने प्रकट किया कि मार्च 2013 तक नगरपालिकाओं के विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों को दिए गए कुल ₹ 6.25 करोड़ के अस्थायी अग्रिम असमायोजित

रहे जैसा कि **तालिका 16** में दर्शाया गया है। अस्थाई अग्रिमों पर अपर्याप्त नियंत्रण निधियों के दुर्विनियोजन के जोखिम से भरा हुआ है।

तालिका 16: असमायोजित अस्थाई अग्रिमों के विवरण

अवधि	एम.सी. नरवाना	नगर निगम यमुनानगर – जगाधरी	नगर निगम करनाल	कुल
	(₹ लाख में)			
2000 मार्च तक	0.98	शून्य	371.19	372.17
2000 -08	0.10	शून्य	48.94	49.04
2008 -09	0.15	शून्य	शून्य	0.15
2009-10	शून्य	शून्य	2.50	2.50
2010-11	0.08	124.00	28.78	152.86
2011-12	0.10	48.21	शून्य	48.31
कुल	**1.41**	**172.21**	**451.41**	**625.03**

अग्रिमों के समायोजन से संबंधित नियमों की अनुपालना निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक है।

ओंकार नाथ

(ओंकार नाथ)

चण्डीगढ़ **प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा),**
दिनांक: **हरियाणा**

परिशिष्ट

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1

(संदर्भ अनुच्छेद 1.3.2; पृष्ठ 4)

राज्य में पंचायती राज संस्था में लगाए गए स्टॉफ (तकनीकी एवं गैर–तकनीकी) की स्थिति

क्र.सं.	पद का नाम	संस्वीकृत पद	तैनाती	रिक्त
1.	योजना अधिकारी	1	0	1
2.	ओ.एस.डी. (एच.)	1	0	1
3.	लीगल आफिसर	25	19	6
4.	उप- अधीक्षक	50	24	26
5.	एस.ई.पी.ओ.	124	62	62
6.	जूनियर इंजीनियर	522	442	80
7.	सहायक	278	235	43
8.	लेखाकार	159	139	20
9.	लेखा लिपिक	154	33	121
10.	लिपिक	356	189	167
11.	सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर	3	2	1
12.	जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर	2	1	1
13.	स्टेनो	168	33	135
14.	ड्राईवर	164	131	33
15.	डेमोंस्ट्रेटर	1	1	0
16.	ग्राम सचिव	2,237	2,060	177
17.	चपरासी	250	170	80
18.	दफतरी	1	1	0
19.	मशीन मैन	1	1	0
20.	जमादार	1	1	0
21	स्वीपर	1	1	0
22.	चौकीदार	1	1	0
कुल		**4,500**	**3,546**	**954**

परिशिष्ट 2

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3; पृष्ठ 11)

मनरेगा के अंतर्गत दिहाड़ियों के भुगतान में विलंब दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	गांव का नाम	ब्लॉक का नाम	मजदूरों द्वारा किए गए कार्य की अवधि	भुगतान की राशि	भुगतान की वास्तविक तिथि	भुगतान की देय तिथि	भुगतान में विलंब (दिनों में)
1.	हरीपुर कम्बोज	जगाधरी	01 जनवरी 2011 से 16 जनवरी 2011	68,874	16 फरवरी 2011	23 जनवरी 2011	24 दिन
2.			13 फरवरी 2011 से 28 फरवरी 2011	8,046	25 मार्च 2011	07 मार्च 2011	18 दिन
3.	गिलोहर	रादौर	01 फरवरी 2011 से 16 फरवरी 2011	1,21,183	19 मार्च 2011	23 फरवरी 2011	24 दिन
4.	पीर बोली	सढौरा	26 दिसंबर 2010 से 31 दिसंबर 2010	32,889	05 फरवरी 2011	07 जनवरी 2011	29 दिन
5.			16 जनवरी 2011 से 21 जनवरी 2011	37,411	28 फरवरी 2011	28 जनवरी 2011	31 दिन
6.	थास्का		01 जनवरी 2011 से 06 जनवरी 2011	2,11,668	05 फरवरी 2011	13 जनवरी 2011	23 दिन
7.	चोली	छछरौली	01 सितंबर 2008 से 15 सितंबर 2008	30,084	17 अक्तूबर 2008	22 सितंबर 2008	25 दिन
8.	भीलपुरा		14 मार्च 2011 से 19 मार्च 2011	13,246	21 अक्तूबर 2011	26 मार्च 2011	210 दिन
9.	कांसली	छछरौली	17 नवंबर 2010 से 30 नवंबर 2010	2,35,470	06 जनवरी 2011	07 दिसंबर 2010	30 दिन
10.	गुदयाना	मुस्तफाबाद	16 अप्रैल 2010 से 30 अप्रैल 2010	2,42,838	17 जून 2010	07 मई 2010	43 दिन
11.			01 मई 2010 से 17 मई 2010	60,588	30 जुलाई 2010	24 मई 2010	67 दिन
12.	कुलपुर		01 अप्रैल 2009 से 16 अप्रैल 2009	53,298	13 जुलाई 2009	23 अप्रैल 2009	81 दिन
13.			01 मई 2009 से 16 मई 2009	58,938	28 नवंबर 2009	23 मई 2009	189 दिन
14.	सुमाजरा	गुहला	09 जून 2010 से 12 जून 2010	8,424	12 जुलाई 2010	19 जून 2010	23 दिन
15.	भागल	गुहला	01 जून 2010 से 14 जून 2010	10,8216	12 जुलाई 2010	21 जून 2010	21 दिन
16.	पीडल		01 जून 2010 से 11 जून 2010	14,580	04 अगस्त 2010	18 जून 2010	47 दिन
17.			29 जून 2010 से 08 जुलाई 2010	10,530	04 अगस्त 2010	15 जुलाई 2010	19 दिन

क्र. सं.	गांव का नाम	ब्लॉक का नाम	मजदूरों द्वारा किए गए कार्य की अवधि	भुगतान की राशि	भुगतान की वास्तविक तिथि	भुगतान की देय तिथि	भुगतान में विलंब (दिनों में)
18.			08 जून 2010 से 23 जून 2010	78,084	04 अगस्त 2010	30 जून 2010	35 दिन
19.	भूना		01 जून 2010 से 16 जून 2010	80,838	04 अगस्त 2010	23 जून 2010	42 दिन
20.			05 जुलाई 2010 से 07 जुलाई 2010	5,346	04 अगस्त 2010	14 जुलाई 2010	21 दिन
21.			17 जून 2010 से 26 जून 2010	30,132	04 अगस्त 2010	03 जुलाई 2010	32 दिन
22.	पीडल		12 जून 2010 से 27 जून 2010	76,140	16 अगस्त 2010	04 जुलाई 2010	43 दिन
23.	ततीयाना		24 जून 2010 से 30 जून 2010	35,778	16 अगस्त 2010	07 जुलाई 2010	40 दिन
24.			01 जुलाई 2010 से 05 जुलाई 2010	26,344	16 अगस्त 2010	12 जुलाई 2010	35 दिन
25.	थेह बनहेडा		01 जुलाई 2010 से 16 जुलाई 2010	58,968	18 अगस्त 2010	23 जुलाई 2010	26 दिन
26.			17 जुलाई 2010 से 22 जुलाई 2010	22,032	18 अगस्त 2010	29 जुलाई 2010	20 दिन
27.	ततीयाना		01 अगस्त 2010 से 16 अगस्त 2010	48,238	13 सितंबर 2010	27 अगस्त 2010	17 दिन
28.	भागल		01 जुलाई 2010 से 16 जुलाई 2010	1,30,410	26 सितंबर 2010	23 जुलाई 2010	64 दिन
29.			17 जुलाई 2010 से 26 जुलाई 2010	82,134	26 सितंबर 2010	02 अगस्त 2010	55 दिन
30.			19 अक्तूबर 2010 से 31 अक्तूबर 2010	1,24,440	02 दिसंबर 2010	07 नवंबर 2010	25 दिन
31.			07 नवंबर 2010 से 20 नवंबर 2010	2,43,024	28 दिसंबर 2010	27 नवंबर 2010	31 दिन
32.	थेह बनहेडा	गुहला	16 नवंबर 2010 से 30 नवंबर 2010	2,43,573	31 दिसंबर 2010	07 दिसंबर 2010	24 दिन
33.	चन्ना जातन		05 दिसंबर 2010 से 20 दिसंबर 2010	43,919	22 फरवरी 2011	27 दिसंबर 2010	57 दिन
34.			21 दिसंबर 2010 से 31 दिसंबर 2010	34,235	22 फरवरी 2011	07 जनवरी 2011	46 दिन
35.			01 जनवरी 2010 से 06 जनवरी 2011	19,038	22 फरवरी 2011	13 जनवरी 2011	40 दिन
36.	हंसु माजरा		16 नवंबर 2010 से 30 नवंबर 2010	26,720	22 फरवरी 2011	07 दिसंबर 2010	77 दिन
37.			01 दिसंबर 2010 से 15 दिसंबर 2010	26,219	22 फरवरी 2011	22 दिसंबर 2010	61 दिन

क्र. सं.	गांव का नाम	ब्लॉक का नाम	मजदूरों द्वारा किए गए कार्य की अवधि	भुगतान की राशि	भुगतान की वास्तविक तिथि	भुगतान की देय तिथि	भुगतान में विलंब (दिनों में)
38.			16 दिसंबर 2010 से 31 दिसंबर 2010	45,925	22 फरवरी 2011	07 जनवरी 2011	46 दिन
39.	भूना		16 नवंबर 2010 से 30 नवंबर 2010	1,26,636	22 फरवरी 2011	07 दिसंबर 2010	77 दिन
40.	चांचक		01 दिसंबर 2010 से 16 दिसंबर 2010	32,899	22 फरवरी 2011	23 दिसंबर 2010	61 दिन
41.			16 दिसंबर 2010 से 31 दिसंबर 2010	25,885	22 फरवरी 2011	07 जनवरी 2011	46 दिन
42.	सुमाजरा		01 जनवरी 2011 से 16 जनवरी 2011	50,768	14 मार्च 2011	23 जनवरी 2011	50 दिन
43.			17 जनवरी 2011 से 31 जनवरी 2011	61,289	13 मार्च 2011	07 फरवरी 2011	34 दिन
44.	ततीयाना		17 दिसंबर 2010 से 31 दिसंबर 2010	75,985	14 मार्च 2011	07 जनवरी 2011	66 दिन
45.	रिवाद जागीर		02 दिसंबर 2010 से 16 दिसंबर 2010	31,293	14 मार्च 2011	23 दिसंबर 2010	81 दिन
46.			17 दिसंबर 2010 से 31 दिसंबर 2010	17,568	14 मार्च 2011	07 जनवरी 2011	66 दिन
47.	थेह बनहेडा	गुहला	01 दिसंबर 2010 से 15 दिसंबर 2010	1,47,498	15 मार्च 2011	22 दिसंबर 2010	82 दिन
48.			15 फरवरी 2011 से 27 फरवरी 2011	10,382	25 मार्च 2011	06 मार्च 2011	19 दिन
49.	पीडल		22 दिसंबर 2010 से 31 दिसंबर 2010	36,016	16 मार्च 2011	07 जनवरी 2011	68 दिन
50.			01 जनवरी 2011 से 16 जनवरी 2011	1,00,701	16 मार्च 2011	23 जनवरी 2011	52 दिन
51.			17 जनवरी 2011 से 24 जनवरी 2011	35,685	16 मार्च 2011	31 जनवरी 2011	44 दिन
52.	सुमाजरा		01 फरवरी 2011 से 16 फरवरी 2011	76,791	22 मार्च 2011	23 फरवरी 2011	27 दिन
53.			17 फरवरी 2011 से 26 फरवरी 2011	42,960	22 मार्च 2011	05 मार्च 2011	17 दिन
54.	बिछिया		29 जनवरी 2011 से 15 फरवरी 2011	51,937	25 मार्च 2011	22 फरवरी 2011	31 दिन
55.	थेह बनहेडा		16 दिसंबर 2010 से 31 दिसंबर 2010	2,32,959	25 मार्च 2011	07 जनवरी 2011	77 दिन
56.	अगोंधा		17 दिसंबर 2010 से 31 दिसंबर 2010	42,251	25 मार्च 2011	07 जनवरी 2011	77 दिन
57.	हांसु		01 जनवरी 2011 से 20 जनवरी 2011	45,591	30 मार्च 2011	27 जनवरी 2011	59 दिन

क्र. सं.	गांव का नाम	ब्लॉक का नाम	मजदूरों द्वारा किए गए कार्य की अवधि	भुगतान की राशि	भुगतान की वास्तविक तिथि	भुगतान की देय तिथि	भुगतान में विलंब (दिनों में)
58.	रीवाद जागीर		01 जनवरी 2011 से 16 जनवरी 2011	25,050	30 मार्च 2011	23 जनवरी 2011	63 दिन
59.			17 जनवरी 2011 से 31 जनवरी 2011	27,054	30 मार्च 2011	07 फरवरी 2011	51 दिन
60.			01 फरवरी 2011 से 16 फरवरी 2011	29,535	30 मार्च 2011	23 फरवरी 2011	35 दिन
61.	भूना		06 दिसंबर 2010 से 21 दिसंबर 2010	60,287	05 अप्रैल 2011	28 दिसंबर 2010	98 दिन
62.			22 दिसंबर 2010 से 26 दिसंबर 2010	28,056	05 अप्रैल 2011	02 जनवरी 2011	93 दिन
63.	थेह बनहेडा	गुहला	16 जनवरी 2011 से 31 जनवरी 2011	5,53,468	13 अप्रैल 2011	07 फरवरी 2011	96 दिन
64.	भागल		21 नवंबर 2010 से 29 नवंबर 2010	1,69,839	22 मार्च 2011	06 दिसंबर 2010	106 दिन
65.			09 दिसंबर 2010 से 24 दिसंबर 2010	94,858	06 अप्रैल 2011	31 दिसंबर 2010	96 दिन
66.	चान चक		01 जनवरी 2011 से 16 जनवरी 2011	33,233	13 अप्रैल 2011	23 जनवरी 2011	80 दिन
67.			17 जनवरी 2011 से 31 जनवरी 2011	15,030	13 अप्रैल 2011	07 फरवरी 2011	66 दिन
68.			01 फरवरी 2011 से 16 फरवरी 2011	12,530	13 अप्रैल 2011	23 फरवरी 2011	49 दिन
69.			17 फरवरी 2011 से 28 फरवरी 2011	42,096	13 अप्रैल 2011	07 मार्च 2011	37 दिन
70.	थेह बनहेडा		03 जनवरी 2011 से 15 फरवरी 2011	2,65,864	05 अप्रैल 2011	22 फरवरी 2011	43 दिन
71.	ततीयाना		01 जनवरी 2011 से 16 जनवरी 2011	1,18,904	04 अप्रैल 2011	23 जनवरी 2011	102 दिन
72.			17 जनवरी 2011 से 31 जनवरी 2011	88,970	04 अप्रैल 2011	07 फरवरी 2011	56 दिन
73.			19 फरवरी 2011 से 28 फरवरी 2011	44,325	04 अप्रैल 2011	07 मार्च 2011	28 दिन
74.			01 मार्च 2011 से 04 मार्च 2011	17,542	04 अप्रैल 2011	11 मार्च 2011	24 दिन

परिशिष्ट 3

(संदर्भ अनुच्छेद 2.4; पृष्ठ 11)

अपर उपायुक्त, भिवानी द्वारा स्वर्णज्यंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना स्कीम के अंतर्गत संवितरित ऋणों एवं सब्सिडी के विवरण

वर्ष	संवितरित ऋण (₹ करोड़ में)	संवितरित सब्सिडी (₹ करोड़ में)	सहायता किए स्वरोजगारियों की संख्या		सहायता किए स्वरोजगारियों की संख्या जिन्होंने बी.पी.एल. क्रास किया
			एस.एच.जी. (लाभग्राहियों की संख्या)	व्यक्तिगत	
2006-07	3.38	1.30	114 (1260)	164	0
2007-08	5.27	1.85	129 (1356)	552	0
2008-09	5.88	1.99	105 (1217)	831	0
2009-10	6.01	1.96	111 (1279)	702	19
2010-11	7.20	2.24	139 (1710)	829	0
2011-12	6.74	2.52	131 (1495)	748	0
कुल	**34.48**	**11.86**	**8,317**	**3,826**	**19**

परिशिष्ट 4

(संदर्भ अनुच्छेद 2.5.1; पृष्ठ 12)

इंदिरा आवास योजना के लाभग्राहियों, जिन्हें दूसरी किस्त जारी नहीं की गई थी, को दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	खंड विकास एवं पंचायत कार्यालय का नाम	लाभग्राहियों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	पहली किस्त की प्राप्ति की अवधि
1	अटेली	7	1.40	नवंबर 2008 से अगस्त 2009
2	कैथल	31	6.90	अगस्त 2009 से जुलाई 2011
3	इसराना	6	1.40	नवंबर 2009 से दिसंबर 2010
4	नारनौल	17	2.92	अप्रैल 2008 से नवंबर 2010
5	मटलोडा	4	1.00	जुलाई 2008 से जुलाई 2010
6	नांगल चौधरी	7	1.35	अप्रैल 2008 से जुलाई 2010
7	कनीना	14	3.25	अप्रैल 2008 से मार्च 2010
8	नारनौद	29	4.35	दिसंबर 2008 से फरवरी 2010
9	बडा गुड्डा	9	2.43	अप्रैल 2008 से मार्च 2012
10	ओधा	39	11.70	अप्रैल 2011 से मार्च 2012
11	सिरसा	40	11.20	अप्रैल से मार्च 2011
12	बाधरा	31	7.75	मार्च 2010 से मार्च 2012
13	कैरू	7	1.85	अक्तूबर 2008 से मार्च 2012
14	फिरोजपुर झिरका	67	16.75	अप्रैल 2009 से मार्च 2011
15	नगीना	63	15.75	अप्रैल 2011 से मार्च 2012
	कुल	**371**	**90.00**	

परिशिष्ट 5

(संदर्भ अनुच्छेद 2.5.2; पृष्ठ 12)

महिला लाभग्राहियों को आवास इकाइयों का अनाबंटन

क्र. सं.	खंड विकास एवं पंचायत कार्यालय का नाम	लाभग्राहियों की संख्या	भुगतान की गई राशि (₹ लाख में)
1	अटेली	33	10.55
2	बाधरा	46	10.30
3	इसराना	32	14.40
4	कैरू	49	11.55
5	कैथल	183	61.45
6	नागल चौधरी	58	17.75
7	पानीपत	118	40.95
8	सिरसा	394	137.82
	कुल	**913**	**304.77**

परिशिष्ट 6

(संदर्भ अनुच्छेद 2.7; पृष्ठ 14)

भूतपूर्व सरपंचों से अवसूली के विवरण

क्र. सं.	खंड विकास एवं पंचायत कार्यालय का नाम	पूर्व सरपंचों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	अवधि
1	कैथल	7	3.05	2000-10
2	सिवन	9	0.79	2000-10
3	इसराना	4	1.20	2000-10
4	नारायणगढ़	6	1.48	2000-10
5	गुल्हा चीका (कैथल)	37	3.93	2000-10
6	हांसी-II	2	2.76	2008-11
7	पुंडरी	10	1.42	1995-2010
8	समालखा (कैथल)	4	2.11	2005-10
9	राजौंद (कैथल)	8	15.73	2000-10
10	मडलोडा (पानीपत)	9	28.01	1995-2010
11	कलायत (कैथल)	5	0.17	2000-10
12	नागल चौधरी	2	0.23	2005-10
13	कनीना	3	0.27	2005-10
14	अंबाला-I	2	0.14	2005-10
15	शहजादपुर	1	0.15	2005-10
16	बराडा	4	0.37	1987-2010
17	बल्लभगढ़	1	2.50	2005-10
18	हिसार-1	1	0.17	2005-10
19	बरवाला	1	1.92	2005-10
20	सोनीपत	2	0.18	2005-10
21	गन्नौर	2	2.20	2005-10
	कुल	**120**	**68.78**	

परिशिष्ट 7

(संदर्भ अनुच्छेद 4.2.1; पृष्ठ 32)

सर्विस टैक्स की कटौती न करना

नगर निगम/परिषद्/समिति का नाम	वर्ष	किराए के कारण प्राप्त की गई कुल राशि (₹ लाख में)	सर्विस टैक्स की दर (प्रतिशतता)	सर्विस टैक्स (₹ लाख में)
नगर समिति, मोहिन्द्रगढ़	2008-09	50.40	12.36	6.23
	2009-10	37.77	10.30	3.89
	2010-11	50.58	10.30	5.21
नगर परिषद्, नारनौल	2008-09	16.67	12.36	2.06
	2009-10	19.61	10.30	2.02
	2010-11	21.29	10.30	2.19
नगर समिति, कनीना	2008-09 से 2010-11	112.08	10.30	11.56
नगर निगम, अंबाला	2009-10	236.70	10.30	24.38
	2010-11	244.24	10.30	25.16
	2011-12	332.47	10.30	34.24
नगर परिषद्, नरवाना	2008-09	42.41	12.36	5.24
	2009-10	40.32	10.30	4.15
	2010-11	35.30	10.30	3.64
	2011-12	37.96	10.30	3.91
नगर परिषद्, सोनीपत	2008-09	26.54	12.36	3.28
	2009-10	26.73	10.30	2.75
	2010-11	26.99	10.30	2.78
	2011-12	28.67	10.30	2.95
कुल		**1,386.71**		**145.64**

परिशिष्ट 8

(संदर्भ अनुच्छेद 4.3; पृष्ठ 33)

ठेकेदारों से काटे न गए उपकर के विवरण दर्शाने वाली विवरणी

क्र.सं.	निगमों/एम.सीज के नाम	ठेकेदारों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
1	नगर परिषद्, कुरूक्षेत्र	55	10.01
2.	नगर परिषद्, मोहिन्द्रगढ़	84	2.38
3.	नगर समिति, लाडवा	13	2.86
4.	नगर समिति, अटेली	84	1.12
5.	नगर निगम, पंचकुला	30	22.02
6.	नगर समिति, कालांवली	133	1.13
7.	नगर परिषद्, भिवानी	57	2.41
	कुल	**456**	**41.93**

परिशिष्ट 9

(संदर्भ अनुच्छेद 4.3; पृष्ठ 33)

मकानों के निर्माण कार्यों पर उद्गृहीत न किए गए उपकर के विवरण दर्शाने वाली विवरणी

क्र.सं.	एम.सी. का नाम	मकानों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
1	नगर परिषद्, कुरूक्षेत्र	51	10.11
2.	नगर समिति, लाडवा	85	10.26
3.	नगर समिति, रतिया	65	11.36
4.	नगर समिति, पेहोवा	99	22.49
5.	नगर समिति, ऐलनाबाद	55	7.44
6.	नगर परिषद्, नारनौल	37	5.90
7.	नगर समिति, डबवाली	16	2.61
8.	नगर समिति, रानिया	30	7.89
9.	नगर समिति, कालका	85	22.09
10.	नगर परिषद्, फतेहाबाद	70	13.26
11.	नगर समिति, शाहबाद	43	6.75
12.	नगर समिति, टोहाना	135	28.22
13.	नगर निगम, करनाल	59	9.69
	कुल	**830**	**158.07**

परिशिष्ट 10

(संदर्भ अनुच्छेद 4.8; पृष्ठ 37)

मस्टर रोलों पर संदेहास्पद भुगतान दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	वाउचर संख्या	दिनांक	कार्य का नाम	एम.सी. की राशि (₹ लाख में)
			नगर परिषद्, नारनौल	
1.	37	17 नवंबर 2008	वार्ड नं. 3 की इंटरलोकिंग गली का निर्माण	0.19
2.	12	01 मार्च 2011	वार्ड नं. 5 बीज भंडार नालापुर की इंटरलोकिंग सड़क का निर्माण	0.50
3.	13	01 मार्च 2011	वार्ड नं. 9 रहेस सैनी के मकान से गोविंद सैनी के मकान तक सड़क का निर्माण	0.46
4.	71	22 मार्च 2011	वार्ड नं. 22 शिव मंदिर से नरेश सिंह ई/वर्क्स फिलिंग	2.50
5.	118	30 मार्च 2011	वार्ड नं. 1 अमर सिंह से विनोद यादव तक ई/फिलिंग	0.60
6.	121	31 मार्च 2011	बस स्टैड के निकट तेज प्रकाश से जे.पी. यादव तक ई/फिलिंग	1.61
7.	128	31 मार्च 2011	पुलिस लाईन के सामने प्रभात टाकीज के नजदीक इंटरलोकिंग सड़क का निर्माण	0.50
8.	129	31 मार्च 2011	वार्ड नं. 13 राम लाल के मकान से सुरेन्द्र के मकान तक ड्रेन का निर्माण	0.01
9.	130	31 मार्च 2011	नम करण से मांगे राम चौधरी मकान तक सी.सी. रोड़ का निर्माण	0.03
10.	131	31 मार्च 2011	कार्य का नाम दर्ज नहीं किया गया	0.31
11.	137	31 मार्च 2011	कार्य का नाम दर्ज नहीं किया गया	1.03
12.	150	31 मार्च 2011	कार्य का नाम पढ़ने योग्य नहीं	0.09
13.	151	31 मार्च 2011	वार्ड नं. 14 वालू थल वाले से पंचायत भवन तक सड़क का निर्माण	0.42
14.	163	31 मार्च 2011	वार्ड नं. 18 बल्लू यादव के घर से भोप यादव के घर तक सी.सी. रोड़ का निर्माण	0.56
15.	164	31 मार्च 2011	वार्ड नं. 1 आर्यवर्त पब्लिक स्कूल मोती नगर के निकट नाले का निर्माण	0.34
16.	167	31 मार्च 2011	एम.सी. नारनौल में कार्यालय के बाथरूम का निर्माण	0.06
17.	168	31 मार्च 2011	बलबीर से जोगिन्दर तक वाया सत्यनाराण गली नं. 2 तक सड़क का निर्माण	0.41
18.	207	31 मार्च 2011	वार्ड नं. 14 अवतार से आनन्द पंडित मोह–नई बस्ती तक सी.सी. रोड़ का निर्माण	0.24

क्र. सं.	वाउचर संख्या	दिनांक	कार्य का नाम	एम.सी. की राशि (₹ लाख में)
19.	244	31 मार्च 2011	वार्ड नं. 21 के निकट लाल राम सैनी से लीली राम तक डब्ल्यू.बी.एम. रोड़ का निर्माण	0.97
20.	245	31 मार्च 2011	वार्ड नं. 21 में भू-कार्य	4.08
21.	246	31 मार्च 2011	वार्ड नं. 10 में भू-कार्य	0.40
22.	247	31 मार्च 2011	वार्ड नं. 10 में भू-कार्य	0.43
23.	387	31 मार्च 2011	शापिंग कम्प्लैक्स के निकट रामधन मादू से हरिओम गुप्ता तक सी.सी. रोड़ का निर्माण	0.03
24.	46	22 मार्च 2011	बाबा खेतानाथ पोयच सड़क से रेलवे क्रासिंग तक नाले का निर्माण	0.17
25.	73	22 जनवरी 2011	वार्ड नं. 10 सोहनलाल से सुरज सिंह तक सड़क का निर्माण	0.40
26.	84	02 मार्च 2010	राजपाल के मकान से दयानगर तक इंटरलाकिंग का निर्माण	0.32
27.	47	23 जून 2009	पीर के नजदीक डा. निर्मल से जगदीश तक सड़क की मरम्मत	0.30
28.	51	23 जून 2009	स्टेडियम से बड़ का कुआ तक सी.सी. रोड़ का निर्माण	0.52
29.	64	18 अगस्त 2009	पनभर लाल से ओमकार नाथ तक सड़क का निर्माण	0.27
30.	36	10 जुलाई 2008	वार्ड नं. 18 स्टेडियम से मेनरोड़ तक सी.सी. रोड़ का निर्माण	0.31
31.	80	24 जुलाई 2008	वार्ड नं. 10 पेविंग आफ इंटरलाकिंग टाईलस	0.22
कुल				**18.28**
नगरपालिका, ऐलनाबाद				
32.	25	12 अक्तूबर 2010	वार्ड नं. 13 में भू/कार्य	0.06
नगरपालिका, मोहिन्द्रगढ़				
33.	55	09 अगस्त 2008	वाईट वाशिंग एंड पेंटिंग	0.06
34.	12	07 अगस्त 2008	सड़क की मरम्मत	0.20
35.	13	07 जुलाई 2008	सड़क की मरम्मत	0.09
नगरपालिका, कालांवाली				
36.	15	26 मार्च 2010	सीमेंट कंक्रीट गली का निर्माण एवं मरम्मत	0.03
कुल योग				**18.72**

© भारत के नियंत्रक – महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

www.aghry.nic.in

Printed At : Azad Offset Printers, 144, Press Site, Ind. Area-1, CHD, 0172 - 4611489, 2656144, 2657144